[श्री श्रीकान्त वर्मा]

नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि यूरोप के निवासी लड़ रहे है । मैं जितना साहित्य और जितने समाचार-पत्र पढ़ता हू, उससे तो यही लगता है कि यूरोप के लोग रंग-भेद की नीति के ज्यादा विरोधी हैं, बजाय हमारे, क्योंकि हम लड़ नहीं रहे हैं, हम विरोध नही कर रहे हैं। आज यूरोप के बहुत से दार्शनिक, लेखक, बुद्धिजीवी और कुछ हद तक राजनेता भी दक्षिण अफ्रीका की रंग-भेद नीति के विरुद्ध एक अभियान चला रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इस विषय में उदासीनता बरती है। यह बड़ा दुखद विषय है कि रोडेशिया में भी यही हो रहा है और दक्षिण अफ्रीका में तो यह पहले से हो ही रहा था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि वह दक्षिण अफ्रीका में जिन भी भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है, उनको छुड़वाने के लिये मध्यस्थ सरकारों के जरिये प्रयत्न करे। वहां भारतीयों के साथ जो भी जुल्म हो रहा है, उसे बिल्कुल बन्द कराने का प्रयत्न करे। मैं भारत सरकार की विदेश नीति का प्रशंसक हूं, लेकिन उसमें चार चांद और लग जायेंगे अगर वह रंग-भेद विरोध की नीति को अपनी बुनियादी नीति के रूप में स्वीकार कर लेगी। धन्यवाद।

THE CHILD MARRIAGE RESTRAINT (AMENDMENT) BILL, 1978

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929, and to make certain consequential amendments in the Indian Christian Marriage Act, 1872, and the Hindu Marriage Act, 1955, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Sir, this Bill seeks to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929 for the purpose of increasing the minimum age for the purpose of marriage. It provides also that offences under the Child Marriage Restraint Act may be investigated by the police under the Code of Criminal Procedure as if they were cognizable offences, but the police is not sought to be conferred the power for effecting arrests without a warrant or an order of a Magistrate.

Sir, as the House is aware, the Child Marriage Restraint Act, 1929 was enacted with a view to prevent child marriages, namely, a marriage of a male person if he was under 18 years of age and a female person if she was under 14 years of age. Subsequently, this age limit for a female was raised to 15 years as a result of an amendment Bill, 1948 which was brought forward by Pandit Thakurdas Bhargava in the Constituent Assembly, Legislative Wing. A provision was made in that Bill for increasing the age of a male also from 18 years to 20 years and that of a female from 14 years to 15 years. The Bill was, however, referred to a Select Committee which agreed with the proposal, but finally the Bill was ultimately passed providing only for the raising of the minimum age for the females from 14 to 15 years and the position in regard to the males continued to remain the same, namely, 18 years. The proposal to increase that age from 18 to 20 years was dropped when the Bill was enacted as an Act.

Now, Sir, apart from the fact that marriage is such a solemn institution, being the foundation of a family it is such an important social institution also having very important impact on the happiness of individuals and on the growth of the society, that it is necessary that people who enter into a marriage should be in a position to clearly understand for themselves the implications of it, they should have

the conscience, they should have become mature not merely physically but mentally also and they should be able to take a conscious decision about their own marriage. Therefore, there has been a long-standing demand that the minimum age for marriage should be so raised that a person should be competent to marry only if he has become mature in every possible way. It has been a long-standing demand on behalf of various social institutions also. And so by this Bill now it is sought to meet that longstanding demand to provide that even girls would be competent to marry only when they attain every kind of maturity at the age of 18 years and in the case of boys they would be competent to marry only when they become 21 years old and are in a position to stand on their own feet in a way and become mature.

Apart from that, Sir, if I may say so, the age of marriage has also an impact on the question of growth in population. As the whole country is aware and as this House is aware, this growth in population has an important problem particularly for this country. The population of this country, which was of the order of 30 crores 30 years before when we achieved independence, is now more than 60 crores, it is about 62 crores; so that the population has been increasing so fast that every year in the matter of population we are adding almost the population of the whole of Australia. One can immediately see as to what consequences are there. Any amount of development which takes place to a very great extent is off-set by the growth in population which occurs every year in this country. So, it is necessary and I am very happy to say that the whole country realises that all proper measures required to be taken to check this explosion in the population of this country, have to be taken. The Government is conscious, as was also clear in the address of the President to the joint session of the two Houses very recently, of all the steps which have to be taken. Of course, I would like to sound a note of warning there. They have to be all proper steps, namely, the dignity of human beings has to be respected and all steps which have to be taken in that direction must be steps which are firstly in accordance with the rule of law, which is now firmly established in this country and which is also the foundation for democracy in a country; and secondly, they must be consistent with the dignity of a human being. Human beings cannot be treated in a manner that they cease to be human beings; they cannot be treated like cattle or animals and so on. So, consistent with this approach, measures will have to be taken very firmly which may have an impact on the growth of population. Sir, this Bill, although a small measure in that direction, is a significant step in that direction of checking, to some extent, the growth of population in this country.

Now, Sir, I must make it clear that these social problems cannot be fully met merely by pieces of legislation. A lot of education to create social consciousness, awareness, etc., has also to go side by side. Neither mere social education nor mere legislation would be enough, as I see, to achieve the desired objectives. Legislative measures as well as social awareness and social education have to proceed in step so as to achieve the desired objectives. I hope that the social institutions which have been carrying on good work in this country would also continue to carry on that good work so that social education also proceeds in this country and people become more and more conscious as to why it is necessary to increase the minimum age for marriage, and the desired objectives are achieved. At the same time, it has also been our experience that if there is no sanction and if an offence under Acts of this kind are not made investigable by the police, namely, if they are not cognizable, then such a far-reaching statute remains, to a very great extent, a dead-letter. That is why, Sir,

[Shri Shanti Bhushan]

an attempt has been made through this Bill to give power to the police to investigate offences under this measure as if they were cognizable offences. At the same time, it was also realised that if an offence is made cognizable without any safeguards, then sometimes there is the possibility of the police abusing their powers and harassing the citizens, etc., particularly since this measure would be applicable to such a vast population. Therefore, in order to avoid the possibility of harassment of the people particularly in the countryside, it has been provided that while the offence would be cognizable for the purpose of the police's powers to investigate, it will not give the police powers to effect an arrest for alleged contravention of a provision of this Act without a warrant from the magistrate or the appropriate authority. Therefore, that safeguard has been provided. With this safeguard that has been provided, I believe this Bill will prove an effective measure and it will be able to achieve the desired objectives.

With these words, Sir, I commend the Bill, as passed by the Lok Sabha, for the consideration of the House.

The question was proposed.

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON (Kerala): Sir, the intentions of the Bill are very good. And if the hon. Minister wants the sanction of this House, I do not think anybody will stand against it. But I doubt whether the purposes of the Bill will be in any way met by the amendments that have been placed before us. Sir, 50 years ago the original Act was passed which provided that the marriageable age of a girl would be 14 years. Later on it was raised to 15. Now, we are raising the age to 18 for girls and to 21 for boys. But all the same what happened was there was no impact of it. When the other Bill was before the Select Committee, 12,320 petitions that were then received, opposed that, not because the people did not want their children to be happy and a better social order brought into this country, but merely because the social order was such, the customs were such, that it was not possible to change them. The *vivaha samskara* at that time insisted that a girl should be married before she attained the age of puberty. Of course, some changes have been made. But the fact remains that even after 50 years of the earlier legislation, the situation has not changed much. And unfortunately we do not have enough data. Even the latest Census Report does not contain any information on this aspect. The questionnaire distributed for census figures does not contain a column for girls below the age of 10 obtaining marital status. It is a fact that cases have been reported where girls below 10 were married and they are married even today in this country. As far as the data that is available now to some extent shows a very discouraging picture. The estimated average age for marriage between 1901 and 1911 and between 1960 and 1970-71 moved up for males from 20.2 to 22.2 and for girls from 13.2 to 17.2. But these figures in some way are again misleading because the average age of marriage for girls in Kerala is over 20. But at the same time we find that in Madhya Pradesh, U.P., Rajasthan and other States the average age of girls today is 15. A large number of girls are married when they are even below the age of 15 as things stand today. The 1971 Census shows that in rural areas 13.6 per cent of the girls are married between the ages of 10 and 14, in spite of the law against it. The parents of the girl are not worried about the three months' imprisonment or the fine for violation of the law, if they could marry off their girl when the time comes. The parents are not at all bothered about the penal provision that already exists. The Minister said that this would also result in checking some sort of population explosion. While going through the proceedings of the Lok Sabha I noticed that the honourable Minister said that the aim of the Bill was not to check population explosion. I do not know

whether his speech was misquoted. *(Interruptions)*

SHRI SHANTI BHUSHAN: What I said was, the aim was not merely—I said, not merely to...

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON: Then I stand corrected. Of course, family planning conferences all over the country have been asking for it. I would like to ask the Minister whether any statistics have been collected with regard to fertility of girls below 15. From the statistics that are available on the fertility pattern we find that for girls below the age of 19 it is only 1.3, between the ages of 20 and 24 it is 2.1 and it increases progressively so that between the ages of 35 and 45 it comes to 6.3 or something like that. The National Sample Survey also indicates that it is not the age of a girl, as the honourable Minister said in this House, that matters but the social conditions. We find that no matter what the age is, 46 per cent of the illiterate wives are not for family planning while only 6.4 per cent of the college-educated girls are not for family planning. That means education has a very serious impact on the fertility point. Therefore, no matter what the age is, when 46 per cent of the illiterate women are against family planning—whatever the age group is—how is it going to have any material effect if we just pass a law of this nature raising the age limit from 15 to 18? Sir, you have now made the law a little more severe. But I am a little amused to find that the penal provisions are very cautiously worded. The law empowers the police officers to investigate the offences under the law as if they are cognizable. It is very good that they have no power to arrest, without a Magisterial order or warrant. But I would like to say that even some of the police constables are in the same social order. Everybody makes the law. But even the authorities who have to enforce the legal provisions will be incapable of implementing them when the matter concerns themselves. Very often they close their eyes to such things happening. Even when they have the authority, it will not be used. I would like, in this connection, to place one example before the House.

A couple of years ago, I had an occasion to see a girl married at the age of 12 years. I was indignant. I asked the girl's mother: "Why are you getting your daughter married at this age against the law?" She said: "Madam, we are very poor. On this occasion one man came without any demand for dowry. So, we are getting her married. If you provide the dowry, then I would have delayed her marriage upto the prescribed age". So, the Child Marriage Restraint enactment is colsely linked with the Dowry Prohibition Act. To enforce one, you break the other. It is all combined. It is not one particular Act that matters. The problem of child marriage is linked up with other things such as custom, taboos, etc. It is also linked up with education. We have the next year's Budget before us and we will be discussing it shortly. Let us see what progress we have made with regard to women's education and education of girls. After 50 years, will you again be bringing another piece of legislation before the House raising the girl's marriageable age from 18 to 21? Then also we will be seeing girls of 12 years getting married without anybody taking any action. These factors should come within the purview of our discussion because these are all inter-linked.

We are in the International Women's Decade. We have the International Children Year round the corner. Between these two things, what is the status of women and what is the status of our girls? How are they able to face the challenges? It is a strange factor that even in the developed countries, the girls are able to make their own choice even though their average age of marriage has come down to sixteen. Still, it is not creating any havoc in the society. In some of the European States the average age of marriage is just six-

[Shrimati Leela Damodara Menon]

teen. They make their own choice. The society is not worried about it because the girls are independent and they are capable of looking after themselves. When we make this provision that girls below 18 years cannot be married, what provision are we making to see that these girls have something worthwhile? Or, are we asking the parents to keep them in the houses? If that is the case, I am afraid we are going to have the problem of unmarried mothers. To avoid that, you have to give them education; you have to give them employment. As it is, they do not have anything else to do. At present nobody bothers as to what happens to the women of the country where they are the most backward and most illiterate. This is going to create a very serious problem and it is going to have very serious repercussions. My apprehension is that the law will be misused and lot of heart-breaking will be there. This problem is not going to be solved by bringing this Bill before the House. I would touch upon another point.

According to law there is equality between men and women in this country. All these rules are void so far as the girls are concerned. The legal provisions are there. But then there are anomalies also in these things. That honourable Minister has again stated that it will be for all communities and religions in this country. Again, I would like to read out from the report of the proceedings of the Lok Sabha. I find from the consequential amendments that it only deals with the Christian Marriage Act and the Hindu Marriage Act. But there are other communities also in this country and there are other religious groups in this country. What happens to the Muslim girls?

SHRI SHANTI BHUSHAN: The Child Marriage Restraint Act is applicable to all the communities. Therefore, raising of the age will apply to all communities.

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON: I am speaking of the consequential amendments.

SHRI SHANTI BHUSHAN: Certain Acts are applicable to certain communities. But this Act is applicable to all the communities. I must make it quite clear at this stage.

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON: I hope that this will be accepted and enforced in all the communities.

SHRI SHANTI BHUSHAN: Oh, yes.

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON: Again, Sir, the honourable Minister has said—I am again quoting from the proceedings of the Lok Sabha—that the case will be referred to some other authority like the panchayats. But what is the harm in getting all the marriages registered? If it is done, we can have a record of the age of the girl and of the boy and then I think it will be more deterrent than taking any penal action after the event, after the marriage is done. After the marriage is done, what are you going to do? The marriage is over. The girl is below the specified age. Are you going to penalise the parents? Are you going to make the marriage invalid? Are you going to break that marriage? You may penalise the parents. That is different. So, I would say that for the sake of reference, for the sake of collection of data, for our information, we must have all the marriages registered. We can also know as to how far this enactment is respected or violated and for how long it is violated. At least for this purpose the marriages must be registered and it will be a good thing if it is done. I would also like to point out one more thing. The honourable Minister himself has said just now that this has got to be enforced along with certain other measures. But the Minister has not specified what those other measures are. Does education come under that? Does employment come under that?

Sir, I would like to place one fact before this House. Instead of imposing any deterrent punishment, instead of having any provision, any penal provision, I think it would be better if we have something else. I would like to suggest that we should do what is being done in England. In England, when a child is born, the Queen sends a gift to the eldest boy. I do not know whether it would be possible for us to make a similar provision here. We can, if possible, make a provision that if till two years after the marriage a couple does not have a child, a gift will be given to the first child. I think this would have a more powerful psychological effect and, probably, it would act more as a deterrent than the present penal provision that we have, because, I am afraid, Sir, that this penal provision will not be of any use.

I feel, Sir, that this enactment, as it stands today, is like one arm growing when the other arm does not continue to grow which is an atrophied growth I hope that the honourable Minister will consider all these things seriously. Let us hope that he will not have to come back to this House and say that it has been violated. Thank you very much, Sir.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदय, जो बिल मंत्री जी की तरफ़ से बाल विवाह रोकने के सम्बन्ध में पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते समय देश की जन-संख्या समस्या की तरफ़ भी ध्यान आकर्षित किया है । मेरा कहना है कि हमारे देश में बाल विवाह को एक अपराध घोषित करना चाहिए और रेडियो और अखबार के माध्यम से इस देश की 60 करोड़ जनता के मन में और उसके बीच में इन साधनों से यह बतलाना चाहिए कि बाल-विवाह करेंगे उन्हें यह सज़ा दी जाएगी । लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की सरकार देश की समस्याओं के मसले पर विचार न करके अपने रेडियो और अखबार का इस्तेमाल केवल राजनीति के उद्देश्य से कर रही है । उपसभापति जी, इस कानून को लाने के पहले भी सरकार का उद्देश्य यह रहा कि हमारे देश में जनसंख्या की जो बाढ़ आ रही है उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए और यह हिन्दुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्य। है । आप जानते हैं जब हम लोग इकट्ठे थे यानी हिन्दुस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान और हम तीनों आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय हिन्दुस्तान की आबादी 40 करोड़ थी । अब कुल आबादी केवल हिन्दुस्तान की 62 करोड़ है, बंगलादेश की 12 करोड़ है और पाकिस्तान की 10 करोड़ है यानी 80 करोड़ हिन्दुस्तान की आबादी हो चुकी है । हम अपने देश में जो भी विकास कर रहे हैं इस हमारे विकास के शिशु को बढ़ती हुई जनसंख्या के राक्षस ने एकदम ग्रास लिया है और हमारे विकास के नवजात शिशु को इस बढ़ती हुई जनसंख्या के राक्षस ने दबोच लिया है इसीलिये पिछली सरकार ने परिवार नियोजन के लिये एक युद्ध स्तर पर काम शुरु किया था । लेकिन हुआ क्या ? पिछले साल 70 लाख परिवार नियोजन हुए लेकिन वर्तमान जनता सरकार के इस एक वर्ष में दो लाख भी परिवार नियोजन नहीं हुए ।

देश की जनता में परिवार नियोजन के संबंध में जहां वैज्ञानिक प्रचार होना चाहिये था वहां जनता सरकार और उनके घटकों ने इतना गंदा और कुत्सित प्रचार किया जिसके कारण देश के अन्दर एक बड़ा ही विषाक्त वातावरण बन गया । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार इस देश में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में काम कर रही थी तो उस समय परिवार नियोजन का युद्ध स्तर पर काम हो रहा था । उस जमाने में हमारे इलाके में बाढ़ आई हुई थी । बाढ़ के खत्म होने के बाद गांवों में बीमारी की रक्षा के लिये डाक्टर लोग गाँवों में जाकर चेचक के टीके लगा रहे थे तो विरोधी पार्टी के लोग जिनकी

[श्री कल्पनाथ राय]

हुकूमत आज है [इन्होंने और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने यह प्रचार किया कि ये टीके चेचक के नहीं हैं बल्कि ये टीके ऐसे हैं जिससे लोग नपुंसक हो जाएं और उनके कभी बच्चे पैदा न हों। इस तरह से पूरे देश के अन्दर कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक एक झूठा और गलत प्रचार करके इस देश के अंदर जो कार्य परिवार नियोजन के लिये हो रहा था उसे रोक दिया गया। मैं कानून मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि परिवार नियोजन का कार्य अगर इस मुल्क मे नही हुआ तो इस देश में यह जनता सरकार तो क्या ऐसी हजार जनता सरकारें आ जाएं, इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पायेगी।

हमारे हिन्दुस्तान का जनसंख्या का 1/3 अमेरिका की जनसंख्या है। हिन्दुस्तान से अमेरिका का क्षेत्रफल चार गुना बड़ा है और हिन्दुस्तान से रूस का क्षेत्रफल सात गुना बड़ा है। हिन्दुस्तान की पापुलेशन का 1/3 अमेरिका की पापुलेशन है यानी 20 करोड़ की उसकी आबादी है और रूस की पापुलेशन भी हिन्दुस्तान की पापूलेशन का 1/3 है यानी उसकी आबादी भी 20 करोड़ है। दो सौ वर्षों से विकसित अमेरिका, कम्युनिज्म के अन्दर विकसित रूस की आबादी हमारे से 1/3 है। इधर हमारे देश ने जिसको आजादी लिये 30 वर्ष ही हुए हैं इसने जितनी भी इस दौरान प्रगति की, आर्थिक प्रगति की, वैज्ञानिक प्रगति की, सामाजिक प्रगति की, सांस्कृतिक प्रगति की इस सब को इस बढ़ती हुई जनसंख्या के राक्षस ने एकदम दबोच लिया है इसलिए हम विकास दिखाई नहीं देता।

उपसभापति जी, कानून मंत्री जी कहते हैं कि ह्यूमन डिगनिटी, इंडिविजुअल डिगनिटी को कम न करने के लिये, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिये हम कोई [जोर-जबर्दस्ती नहीं करेंगे। आप दिल्ली स्टेशन पर जाइये वहां पर एक लाख आदमी प्लेट फार्म पर सोये हुए मिलेंगे। उससे आगे बढ़िये, कानपुर चले जाइये वहा पर भी प्लेट फार्म पर एक लाख आदमी सोये हुए मिलेंगे। यह है ह्यूमन डिगनिटी, आपकी लोकशाही और आपका जनतंत्र आप रेलों में सैकि. क्लास के डिब्बों को देखें तो लगेगा कि जैसे आदमियों की एक बाढ़ सी आ गई है। आज आप स्कूलों में जाइये, वहां भी भर्ती के लिए जगह नहीं है। युनिवर्सिटी में जाइये, वहां भी भर्ती के लिए जगह नहीं है। नौकरियों के लिए इस मुल्क के अन्दर 10 करोड़ बेकार और अर्धबेकार लोग फैले हुए हैं। इस मुल्क के अन्दर आज यह स्थिति हो गई है कि आप किसी भी बस स्टैंड पर चले जाइये, आपको जगह नही मिलेगी। बसों में कोई जगह नही है, ट्रेनों में जगह नही है। प्लेटफार्मो पर लोगों को सोने के लिए जगह नही मिलती है। दिल्ली और लखनऊ जैसे बडे शहरों में रहने के लिए मकानों की महान समस्या पैदा हो गई है। हजारों और लाखों लोग कलकत्ता के अन्दर फुटपाथों पर सोये रहते हैं। आज हमारे देश मे जनसंख्या की समस्या पूरे राष्ट्र, की समस्या बन गई है। मै समझता हूं कि जब तक इस देश के सभी दल, सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश नही करेंगे तब तक यह समस्या हल नही हो सकती है। चाइल्ड एक्ट और मेरिएज एक्ट बना देने मात्र से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। हमारे देश मे परिवार नियोजन का कार्य सबसे महान कार्य है। जब तक इस कार्य को युद्ध स्तर पर नही किया जाएगा तब तक जनसंख्या की समस्या हमारे देश में हल नही हो सकती है। यह बात मेरी समझ में नही आती कि—Human dignity only for Shanti Bhushan. Human dignity only for Charan Singh. Democracy only for Kalp Nath Rai and millions of people of this country मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि लोकशाही की बात करने वाले अगर समाजवाद की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे तो लोकशाही को कोई नही बचा सकता है।

आदरणीय उपसभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से इन्होंने न तो रेडियो के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए कोई प्रचार किया है और न ही परिवार नियोजन से क्या लाभ हैं उसके संबंध में रेडियो पर या अखबारों में कोई प्रचार किया गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता को परिवार नियोजन के बारे में शिक्षित किया जाय। आज अखबारों के अन्दर और रेडियो पर इस बात का प्रचार नहीं किया जाता है कि अधिक बच्चे होने से क्या नुकसान होता है और बाल-विवाह करने से क्या हानियां होती हैं। जब से जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, इन 12 महीनों में केवलमात्र चरित्र हनन का वातावरण देश के अन्दर रेडियो और अखबारों के माध्यम से बनाया जा रहा है। इन माध्यमों से केवल मात्र जवाहर लाल नेहरु की निन्दा करने, नेहरु परिवार को बदनाम करने और श्रीमती इंदिरा गांधी को भ्रष्ट बताने पर ही सारा समय व्यतीत किया जा रहा है। यह जनता पार्टी की सरकार पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने पर तुली हुई है और श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ ही सारा प्रचार किया जाता है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में यह भावना फैल गई कि इस देश के नेता बेईमान हैं, पूरा नेहरु परिवार बेईमान है, श्रीमती इंदिरा गांधी बेईमान हैं और यह भावना उनके अन्दर घर कर गई तो इस देश से जनतंत्र का अन्त हो जाएगा। उसी दिन से इस देश में इस पार्लियामेंट की हुकूमत नहीं रहेगी। सारा शासन प्रबन्ध मिलेट्री के हाथ में चला जाएगा और फिर इस देश की समस्याओं का कोई हल नहीं निकल सकता है। ऐसी स्थिति में यह देश खन्ड-खन्ड और टुकडे-टुकडे हो जाएगा। जिस देश की जनता ने आपको केबिनेट का मेम्बर बनाया है आप उसको भूल गये हैं। इतिहास उठाकर आप देख लीजिये, क्या कहीं भी किसी मुल्क में जब राज-सत्ता में कोई परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन के बाद जो दल सत्ता में आता है वह केवलमात्र पिछड़े दल की निन्दा करने और चरित्र-हत्या करने में लगा रहता है? अमेरिका के अन्दर राज-सत्ता में एक निश्चित समय में बाद परिवर्तन होता है, लेकिन वहां पर पिछले दल की निन्दा नहीं की जाती हैं। इसी प्रकार से इंगलैण्ड के अन्दर भी राज-सत्ता के अन्दर परिवर्तन होता रहता है और इज्राइल के अन्दर भी इसी प्रकार से परिवर्तन होता है। लेकिन जो दल सत्ता रूढ़ होता है वह पिछले दल के सम्बन्ध में कोई निन्दा नहीं करता है, बल्कि अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए ठोस और समयबद्ध कार्यक्रमो पर अमल करता है। कांग्रेस सरकार की नीतियों को इस देश की जनता अच्छी तरह से जानती है और यह भी जानती है कि चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन ने गलतियां की हैं, लेकिन उसका कांग्रेस की नीतियों में दृढ़-विश्वास है। वह इस सरकार की निन्दा संबंधी बातों को स्वीकार नहीं करती है।

SHRI G. LAKSHMANAN (Tamil Nadu): On a point of order, Sir What is under discussion in this House?

SHRI KALP NATH RAI: It is a discussion on Child Marriage Act relating to population.

SHRI G. LAKSHMANAN: Thank you. I wanted only this clarification from you.

SHRI KALP NATH RAI: It is a discussion on Child Marriage Act and the Minister of Law said that he was bringing this Act in Parliament to check the growth of population. He said that the population was exploding and if it was not checked, then the entire country could be finished. He touched the population problem. Therefore, I have to reply to him.

इसीलिए हमें उनके प्रश्नों के जवाब देने पडते हैं। हमारे देश में आज स्थिति यह हो गई है कि रेडियो और अखबारों के माध्यम से

[श्री कल्पनाथ राय]

परिवार नियोजन का कोई प्रचार नहीं किया जाता है। अगर पांच मिनट के लिए भी रेडियो, टेलीविजन और अखबारों के माध्यम से इस संबंध में प्रचार किया जाएगा तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव जनता पर पड़ेगा क्योंकि आज हर गांव और हर हरिजन बस्ती में रेडियो है और वहां पर अखबार जाते हैं। बाल विवाह अपराध है, जो बाल विवाह करेगा उसको हम दो साल की सजा देंगे। बाल विवाह बन्द किया जाय, इससे हमारे देश का नुकसान है। यदि 5 मिनट आप बाल विवाह को रोकने के संबंध में, 5 मिनट या आधा घंटा समय परिवार नियोजन के संबंध में देते तो आप देश की 60 करोड़ जनता को शिक्षित कर सकते थे। लेकिन मेरा तो यह कहना है कि आप अपने नशे में है, पूरी गवर्नमेंट नशे मे है। उनका नशा है कि दुनिया की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की चरित्र हत्या करना, कांग्रेस पार्टी की चरित्र हत्या करना और जनता को यह समझाना कि वह गलत है। आदरणीय उपसभापति महोदय, इस चरित्र हत्या की राजनीति का परिणाम यह हुआ कि आज 9 महीने के अन्दर दक्षिण भारत में मुंह की खानी पड़ी। कानून मंत्री बड़ी-बड़ी बात करते थे कि कांग्रेस पार्टी को क्या हक है। इसलिये 9 महीने में विधान सभा के चुनाव कराये आपको थोड़ी शर्म और हया भी नहीं आती। दक्षिण भारत में चुनाव हारकर क्यों नहीं आप पार्लियामेंट को भंग करते हैं। पार्लियामेंट के चुनाव कराओ तो हम आपको जाने। कहां गये श्री जयप्रकाश नारायण के...

(*Interruptions*)

डा० मदन मोहन सिंह सिद्धू: (उत्तर प्रदेश) : जनता पार्टी के लोगों ने ज्यादा विश्वास पाया है, बनिस्बत उस वक्त के, जब कि लोक सभा का चुनाव हुआ था, यानी कि एक-एक दो-दो, आये थे उन प्रान्तों से।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदय, हमारे डा० सिद्धू जैसे लोग भी मानसिक रूप से दीवालिया हो जायेंगे, यह मैं नहीं समझता था। चुनाव हुआ। दुनिया के इतिहास में कोई भी रूलिंग पार्टी 9 महीने के अन्दर इतनी गहरी पराजय नहीं प्राप्त कर सकी या इतनी बदनाम नहीं हुई।

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : उपसभापति महोदय, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों प्रदेशों में इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें थी। वहां जनता पार्टी के विधायकों की संख्या कितनी थी पहले और अब कितनी हो गई है, क्या यह माननीय सदस्य को मालूम है?

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदय, जिस समय जनता सरकार बनी, उस समय 9 प्रान्तों में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हुकूमत को जनता ने (*Interruptions*)

श्री श्रीकान्त वर्मा (मध्य प्रदेश) : आप को तो कन्डीडेट्स भी नहीं मिलें। कांग्रेस के जिन कन्डीडेट्स को टिकट नहीं मिला, उनको आपने खड़ा किया। तो फिर आप यह कैसे कह सकते है?

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदय, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस की हुकूमत थी (*Interruptions*)

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD (Kerala): Sir, I want to know whether the hon. Member is supporting the Bill or opposing it. We would like to be enlightened.

SHRI KALP NATH RAI: I am supporting this Bill. But the question is...

श्री उपसभापति : आप समाप्त कीजिये ।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं कह रहा था कि जयप्रकाश नारायण जिन्दा है, लोकनायक बन कर, मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंह और कानून मन्त्री लोकतन्त्र के महान उपदेशक यहां मौजूद है। वे दिन रात यही कहते थे कि 9 प्रान्तों में विधान सभाओं को हमने इसलिये खारिज किया क्योंकि आप जनता का विश्वास खो चुके हैं । तो हिन्दुस्तान की पांच प्रान्तों की विधान सभाओं में हजारों हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी आप चुनाव में पूरी तरह हारे है, इसलिये पार्लियामेंट को भंग करो । लेकिन यह क्या कि 'मीठा मीठा गप, खट्टा खट्टा थू' ।

आदरणीय उपसभापति महोदय, यह जो...

श्री उपसभापति : अब समाप्त कीजिये ।

श्री कल्पनाथ राय : इस बाल विवाह को रोकने के लिये देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को युद्धस्तर पर चलाया था । लेकिन इन जन-घाती और राष्ट्र-घाती ताकतों ने, कुछ घटकों ने मिल कर--जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने देश की विरोधी पार्टियों को मिला कर देश की करोड़ों करोड़ गरीब जनता को गुमराह किया । उन्होंने इसका गलत प्रचार किया । अगर कोई दवा देते थे तो यह कहते थे कि तुमको नपुन्सक बनाने की दवा दी गई है । इस तरह का कुत्सित और घृणित प्रचार करके, देश की गरीब जनता को बहका कर, उन्होंने परिवार नियोजन के खिलाफ प्रचार किया । परिवार नियोजन के खिलाफ गन्दे जहरीले प्रचार के पेट से पैदा यह जनता सरकार है । इस सरकार को इसका मुकाबला करना होगा । आदरणीय उपसभापति महोदय, यदि जनता सरकार सत्ता में आएगी तो बेकारी को खत्म कर देगी, ऐसा इन लोगों ने वायदा किया था । इस देश में 10 करोड़ बेकार है और एक साल में...

श्री उपसभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री कल्पनाथ राय । आदरणीय उपसभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि सरकार को पूरे देश के बड़े पैमाने पर विरोधी विरोधी पार्टियों को बुलाना चाहिए और शान्ति भूषण को अगवाही करनी चाहिए और हमेशा मोरारजी देसाई और राजनारायण से डरना नहीं चाहिए, जी हुजूरी नहीं करनी चाहिए बल्कि नौजवान कानून मन्त्री हैं हिम्मत के साथ उन्हें आगे आना चाहिए और कहना चाहिए

(*Interruptions*)

SHRI G. LAKSHMANAN: He has touched the names of only some Cabinet Ministers. Some more are left. Let him touch their names also.

श्री उपसभापति : अब बहुत समय हो गया है...

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदय, मेरा कहना है कि इस बाल विवाह की समस्या को हल करने के लिए सभी विरोधी दलों की मीटिंग यहां बुलानी चाहिए उसमें प्रचार मन्त्री श्री आडवाणी जी को भी बुलाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि इस परिवार नियोजन को युद्ध स्तर पर सफल बनाने के लिए जैसे आजादी की लड़ाई के सवाल पर सारा देश एक हो गया था वैसे ही परिवार नियोजन के सवाल पर बाल विवाह को रोकने के सवाल पर लड़ना चाहिए । इस लड़ाई को कामयाब बनाने के लिए हमें रेडियो, अखबार और दूसरे प्रचार-तंत्र का प्रयोग करना चाहिये ताकि देश जनसंख्या के कारण मिट न जाए । आज हिन्दुस्तान की आजादी खतरे में है, आज हिन्दुस्तान की एकता खतरे में है क्योंकि विकास की जबरदस्त भूख हिन्दुस्तान के गांव में

[श्री कल्पनाथ राय]

हैं। आप लोग भी मन्त्री हैं, संसद सदस्य है। अगर जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती रही तो विकास मन्द गति से होगा। अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो बढ़ती हुई जनसंख्या का राक्षस इस विकास के शिशु को दबोचेगा, उसको खा जाएगा और फिर एक गरीबी के महासमुद्र में विकास का एक छोटा सा चिराग दिखलाई देगा। इसलिए इस सवाल को राष्ट्र का सवाल बना कर, युद्ध स्तर पर आपको लड़ना चाहिए। मेरा तो यह कहना है कि शारदा एक्ट बना हुआ है लेकिन बाल विवाह बन्द नही होता है। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरे गांव या मेरे देहातों में जो पिछड़े वर्ग के लोग है विशेष कर वहां दो, तीन, चार या पांच वर्ष के बच्चों की शादियां होती हैं और बाल विवाह को इतना जबरदस्त बढ़ावा मिला हुआ है कि अभी इस जनता को जानकारी भी नहीं है कि बाल विवाह कितनी घातक चीज है। मैं जनता सरकार के कानून मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे अपने रेडियो से 10 मिनट बाल विवाह के लिए रखें और यह तब तक चलता रहे जब तक बाल विवाह बन्द नहीं हो जाता है। यदि इसके बावजूद भी बन्द नही होता है तो इसके लिए इतने कड़े दण्ड की व्यवस्था की जाए ताकि एक व्यक्ति को दंडित होने पर पूरे देहात के लोग बाल विवाह करने की हिम्मत न कर सकें। जब तक यह कड़े कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाए जाते तब तक बाल विवाह को नहीं रोका जा सकता। मैं जनता सरकार को और इसके कानून मन्त्री से कहना चाहता हूं कि वे परिवार नियोजन के सवाल को देश का, राष्ट्र का सवाल बना कर युद्ध स्तर पर हल करने की कोशिश करें वरन् हिन्दुस्तान की आजादी भी इसके कारण खतरे में पड़ सकती है, देश की एकता खतरे में पड़ सकती है और देश का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। आदरणीय उपसभापति महोदय, हमने देश को 6 करोड़ टन की जगह 12 करोड़ टन का गल्ला दिया। हम दुनिया का दसवां आणविक राष्ट्र बन गए। लेकिन हिन्दुस्तान में 60 प्रतिशत जनता पावर्टी लाईन के नीचे रहती है। इसका कारण है कि हिन्दुस्तान की जनता को विकास में हिस्सा नही दिया गया। जब तक हम परिवार नियोजन पर कड़ा नियन्त्रण नहीं रखेंगे तब तक हम इस मुल्क का विकास और तरक्की नही कर सकते। इसलिए उपसभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं कानून मन्त्री द्वारा लाये गये इस कानून का समर्थन करता हू और शान्ति भूषण जी से, जो इस सरकार के मन्त्रिमण्डल में नौजवान व्यक्ति है, अपील करता हूं कि वे हिम्मत के साथ देश के सवाल को आगे बढ़ायें। वे मरे हुए लोगों की बात न सुन कर देश को एक नया कार्यक्रम दें। इसके बाद ही हिन्दुस्तान इन्दिरा गांधी और नेहरू के सपनों का राष्ट्र बन सकेगा, एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकेगा और तभी एक नये भारत का निर्माण कर सकेंगे, तभी हम अतीत को सामने रख कर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे जिससे कि आने वाली भावी पीढ़ियां सुखी रह सकेंगी।

धन्यवाद।

SHRI SANAT KUMAR RAHA (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, I support this Child Marriage Restraint (Amendment) Bill, 1978, with some reservations. Sir, marriage is purely a social institution; it is a social problem also. This child marriage has an impact on the growth of population as well. We have seen how Sharda Act was infructuous We know by our last 50 years' experience that merely by legislative measures, laws for such a social reform cannot be implemented. It requires adequate machinery to educate the people, their orientation and thought. We also have got 30 years' experience since the last amendment, regarding the marriageable age of 15. We had all these legislations but without sufficient campaign, without a national campaign, without sufficient orientation and education for the people. It cannot be implemented with-

out the necessary infrastructure Hence, I suggest to the Law Minister to take steps in this regard for the proper development of these girls till they attain maturity, so that they are not taken to be a burden on the family.

It is a fact that due to our socio-economic order we generally think that sons are the security during the old age of the parents and the daughters are a liability in the family. This outlook cannot be changed without any socio-economic advancement. The Minister says that the maturity age for the girls is 18. I think the maturity does not depend on age only It also depends on education. It is also a fact that the girls are not covered by the literacy campaign. They are generally left out and are neglected. It is only in the case of sons that we give consideration for education. In a society where poverty is rampant, where poverty does not allow the parents to afford sending their girls to the schools, we find the girls as helpless tools in the hands of the parents These girls, even after attaining the age of maturity, that is. 18 years, continue to depend on their parents; they have no other option. They are given away in marriages according to the parents' wishes. This is, Sir, the norm of the society and the order of our society. How can you change it? We cannot change it by some legislative measures unless we educate the public opinion by dramas and cinemas. All such type of radio, through television, theatres, dramas and cinemas. All such type of media can be utilised to educate our people. Therefore, these are

1 P.M. the substantial things. Along with the passing of this Bill, Government should take some ancillary and subsidiary measures for implementing this law. This is very vital to check the population growth The Bill is mainly meant to check the population growth. This is a partial picture. This is a partial view in regard to the subject which is very vital to the nation today. I would urge the hon. Minister not to take a partial view of the matter that this is meant only to check the population growth. This is a vital thing for our new society which is emerging. This is a vital thing for the changing society. This is a vital thing for the progressive forces. This is also a vital thing for the forces which are urging for transformation. This is vital for a shift from the present social order to a better and progressive order

Then, I would like to know from the Minister what machinery is there for implementation. I would also like to know whether this machinery will go right up to the village level so that this machinery can work in a comprehensive manner to implement the law throughout India from the smallest village to the metropolitan cities. There is a provision in the Bill for punishment in cases where there are marriages before the marriageable age. If you look at it from another angle, it has a negative feature. If there is a case of early marriage, which is an offence, it will go to the police. I would like to know whether there can be a negotiating machinery at the village panchayat level so that this can act as a preventive check. There should be an adequate machinery which will be able to prevent such things before it goes to the police. If these things come into the hands of the police, the problem would not be solved. I am speaking from my experience of the police. This will only breed corruption. It has also been stated that on the order of the magistrate, the police will take action. Who will inform the magistrate? Is there any machinery? Who will give information to the magistrate? This is a socio-economic problem. This is also a problem affecting the general polity of our country. The entire population should be taken into confidence The various trade union organisations, agricultural labour organisations, organisations of landless peasants, youth and student organisations, women organisations

[Shri Sanat Kumar Raha]

and so on should be taken into confidence and their co-operation should be sought in fulfilling the objectives of the law. The Bill also does not say how this law will be implemented simultaneously with the reorientation of public opinion. This is essential in today's situation when people are more conscious than ever before. Fifty years have passed without there being any effect of the Sharada Act. We have already gone through thirty years without the beneficial effects of the various legislations reaching the people. The time has come. We have already reached a stage of consciousness when we can implement this law with a vigorous campaign starting from the national level right up to the village level. There is another point which is also very vital. Government should create such an infrastructure which will help the girls to develop in a proper way in the field of education and various othe social fields. All these are a part of national perspective. So, I want that the Minister should state in his reply, what measures will be taken by the Government after passing of this Bill to see that this law becomes a popular law, that the people extend their whole-hearted co-operation and willingness.

Lastly, Sir, I also appeal to the Minister to see that this law, as it is harmless and affects no religion, is made applicable to all communities in India, irrespective of their religion.

With these words I support the Bill.

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही सवा दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at twenty-one minutes past two of the clock, **THE VICE-CHAIRMAN, (Shri H. M. Trivedi)** in the Chair.

श्री महादेव प्रसाद वर्मा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपके द्वारा मंत्री महोदय जी को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं इस बिल के बारे में। वैसे देखने पर बड़ा साधारण सा लगता है लेकिन शायद इस बात को नज़र अंदाज किया गया कि यह कानून हिन्दुस्तान की सारी जनता के ऊपर जितना लागू होता है उतना शायद कोई दूसरा कानून लागू नहीं होता। यह भी याद रखने की बात है कि पिछली गवर्नमेंट भी नेक नीयती से नसबंदी लागू करने की कोशिश की थी लेकिन उस भ्रष्ट मशीन ने एक जुल्म ढाह दिया। आपकी नेक-नीयती में भी कोई सन्देह नहीं जिस नेक-नीयती से आप इसको करना चाहते हैं लेकिन याद रखिये उससे भी बड़ा जुल्म ढाया जाएगा। क्यों? पीछे 1929 शारदा एक्ट बना था। उसमें कोग्निजिबल आफेंस नहीं था और इसे आपने कोगनिजिबल बना दिया। कितना बड़ा विस्फोट हो जायेगा गांव की जिन्दगी पर, खासकर जितने गरीब लोग है उनकी जिन्दगी पर। इसका शायद अनुमान नहीं लगाया गया। इसका अनुमान लगाने के लिये थोड़ी सी मैं आपके सामने इसकी पिछली हिस्टरी रखना चाहता हूं। 1929 में असेम्बली में शारदा जी ने यह बिल पेश किया था। मैं उस समय बनारस में हिन्दु युनिवर्सिटी में छात्र था। गांधी जी और नेहरु जी वहां मीटिंग में गये। जहां मीटिंग रखी गई थी वहां गांधी जी पहले पहुंच गये थे और नहरु जी बाद में पहुंचे। नेहरु जी फाटक पर पहुंचे ही थे कि तब तक कम से कम कई हजार का जुलूस पंडे भी थे, उनके चेले भी थे, संस्कृत कालेज और स्कूलों पाठशालाओं के छात्र भी शामिल थे। उन्होंने उस फाटक पर हमला कर दिया इसी इशू को लेकर। उस समय घोर आंदोलन इसके खिलाफ बना था। जगह-जगह पर लोग कहते थे कि हमारे धर्म के ऊपर सीधा आक्षेप है।

'अष्ट वर्षे भवेत गौरी, नव वर्षे च कन्यका।

आठ वर्ष की लड़की गौरी हो जाती है और नौ वर्ष की कन्या होती है और बारह वर्ष की बन जाती है विवाह के लायक। अगर तब तक शादी नहीं करते तो उसके मां-बाप को, उसके परिवार को नरक मे जाना पड़ता है। उस आंदोलन का नतीजा यह हुआ कि नेहरू जी फाटक पर खड़े थे। हम 20–40–50 स्टूडेंट्स उनके साथ खड़े थे। उसी समय तीन आदमी लाठी लेकर आए और उसमें से दोने नेहरू जी के मस्तक पर लाठी मार ही दी। हम लोग बगल मे खड़े हुए थे। मुझे गर्व है इस बात का कि हम लोगों ने हाथ ऊपर कर लिये लेकिन नेहरू जी झिचके नहीं, हटे नहीं वहां से। मुझे भी लाठी लगी थी और मेरी उंगली का नाखून उड़ गया था उसी से। इतने में पुलिस आ गई। उसने पटाखे वगैरह छोड़े और भीड़ को हटाया। सारे हिन्दुस्तान में एक घोर आंदोलन उसके खिलाफ चला। और लोग यह समझे कि यह धर्म में हस्तक्षेप है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस समय हमारे देश की जो स्थिति है और जिस प्रकार का प्रशासनतंत्र हमारे पास है उसमें भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। चूंकि शारदा एक्ट में कांगनिजिबल आफेन्स की बात नहीं थी। इसलिए उसके पास होने के बाद लोगों ने समझा कि यह तो एक तूफान था जिसमें किसी प्रकार का कोई दम नहीं है। नतीजा यह हुआ कि उसको लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। इस बिल के खिलाफ भी आप इस वक्त कोई हवा नहीं देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोगों ने यह समझ रखा है कि जिस प्रकार से शारदा एक्ट को लागू नहीं किया जा सका, उसी प्रकार का यह भी कोई कानून होगा। अगर उनको यह मालूम हो जाय कि इस कानून के अन्तर्गत पुलिस डायरेक्टली शिकायत दर्ज कर सकती है और मुकदमा चला सकती है तो आप यह सोच लीजिये कि देश के अन्दर एक बहुत बड़ा तूफान पैदा हो जाएगा। मै समझता हूं कि इस एक्ट में जो बातें कही गई है वे अच्छी है। लेकिन कोई भी सामाजिक सुधार या कानून बिना पृष्ठभूमि के तैयार किया हुआ जनता पर लागू किया जाता है तो उसका विस्फोटक परिणाम हो सकता है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली सरकार ने कितनी नेक-नीयती से नसबंदी की योजना लागू की और इस देश की जनसंख्या को रोकने की कोशिश, की, लेकिन इस देश की भ्रष्ट मशीनरी ने उसका इतना दुरुपयोग किया कि उसका खामयाजा उसको भुगतान पड़ा। इसीलिए मैं आपको आज यहां पर चेतावनी दे रहा हूं कि छः महीने के बाद जब लोगों को पता चल जाएगा और उनको यह भी पता चल जाएगा कि यह एक कागनिजिबल आफेन्स है तो फिर लोग इसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। मैं यह मानता हू कि 50 साल तक शारदा एक्ट लागू रहा, लेकिन उसके अधीन कोई कार्यवाही नही की जा सकी। इसका कारण यह था कि जब तक कोई आदमी कम्प्लेन्ट नही करेगा तब तक उस संबंध मे कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है और आज न तो किसी पार्टी ने और न किसी सामाजिक सुधार की संस्था ने उसकी उपयोगिता के संबंध में कोई कदम उठाया है। मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार के काम कानून द्वारा होने वाले नही है। इसके लिए जब तक पृष्ठभूमि नही बनाएंगे तब तक इस प्रकार के कानूनों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर बिना किसी पृष्ठभूमि के कोई कानून बनाएंगें और उस पर जनता को चलने के लिए कहेंगे तो उसके भंयकर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए यह मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि लोक सभा से यह बिल पास हो चुका है और यहां पर भी पास हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस संबंध में हमारा केबिनेट फिर से विचार करे और इस बिल में डायरेक्टली पुलिस को हस्तक्षेप करने का जो अधिकार दिया गया है उसको हटाया जाय। इसके लिए कौन सी विधि हो सकती है जिससे उसको कार्यान्वित किया जा सके, इस पर विचार किया जा सकता है और कोई रास्ता निकाला जा सकता है :

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

लेकिन जबर्दस्ती इसको लागू करने की कोशिश भगवान के लिए मत कीजिये । आपने देश को इस लायक तैयार नहीं किया है कि वह इस प्रकार की चीजों को ग्रहण कर सके । इसमें किस की गलती थी, इसमें मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता हूं । लेकिन हमारे देश में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस बारे मे आम जनता को किस प्रकार से शिक्षित किया जाय । जनता की मर्जी के खिलाफ कोई इस तरह का कानून समाज में लागू नहीं किया जा सकता है । अब तक इस प्रकार के कानून के लिए उचित पृष्ठभूमि देश में नहीं बनेगी । तब तक इस प्रकार के कानूनों को लागू करने में काफी दिक्कतें सामने आएंगी । इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार के कानूनों को जबर्दस्ती लागू न किया जाय ।

अब मैं कुछ मुश्किलों की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । गांवों के अन्दर पैदाईश का कोई रजिस्टर मैनटैन नही होता है जिससे देखकर यह बताया जा सके कि कोई आदमी कब पैदा हुआ ।

किसी लड़की की उम्र 18 साल की हुई या नही हुई, इसका सार्टिफिकेट कौन देगा । भ्रष्टाचार की एक और जड़ पैदा हो गई । डाक्टर के पास जाय या कोई दूसरा सार्टिफिकेट देगा । कोई इसके लिय एजेंसी है नहीं । फिर किस तरह से आप सार्टिफिकेट देगें कि लड़की 18 साल की हो गई । लड़के की बात छोडिये । यदि हर एक आदमी को सिविल सर्जन का सार्टिफिकेट लेना होगा तो उसमें क्या दिक्कतें पड़ेंगी, उसका आप अनुमान लगाइये । तो सबसे पहले मुसीबत तो यह आयगी कि शादी के पहले हर एक मां-बाप को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उन बच्चों का । उस सार्टिफिकेट की कोई एजेंसी आपके पास है नहीं, जो कि आसानी से उसको मिल जाय । चोरी का एक दरवाजा खुल गया । दूसरी चीज यह है कि इस समय बिहार में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में आमतौर से गांवों में पांच-पांच, सात-सात वर्ष के बच्चों की शादियां हो रही है और आप एक दम से उसको रोक कर 18 साल और 21 साल कर रहे है । जो शहर है वहां के युनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स, छात्र और छात्राएं है, जो शहर की आबादी है, आप केवल उनको ही न देखिये, जो पांच-पांच, सात-सात साल में अपने बच्चों की शादी करते है गांवों को भी देखिये । आपकी मंशा तो सुन्दर है, लेकिन उस सुन्दर से सुन्दर और अच्छी से अच्छी मंशा को, अगर आप समझा नहीं सकते तो यह जबदस्ती उनके साथ कैसे चलेगी ? इसलिये यह जरूरी है कि अगर इस कानून को आप बना रहे है, तो उसमें जितनी मुश्किलें पड़ेंगी, उनको भी आसान बनाने का रास्ता कैसे निकाला जाय, इसको भी देखें । अव्वल डिफिकल्टी यह पड़ेगी कि किसी गांव की लड़की की सार्टिफिकेट एज क्या होगी, वह सार्टिफिकेट कौन देगा, कहां जाने से वह सार्टिफिकेट उसे मिलेगा । यह है नम्बर एक बात । नम्बर दो बात, कि अगर कोई दावा करे तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी । सब की ही लड़के-लड़कियां है, बच्ची-बच्चियां है, इसलिय गांव में ऐसा निकलना मुश्किल है, जो इस काम को करे । इसलिये आपका यह सब करना फैल हो जायगा । अब अगर आप इस चीज को पुलिस के हाथ में देते है कि पुलिस उसका नोटिस ले, खुद मैजिस्ट्रेट के यहां वह रिपोर्ट करे तो तय रखियें कि एक इलाके में अगर 500 शादियां होती है और यदि इनमें से 5 शादियों में भी कोई दरोगा घूस लेगा तो सारे इलाके में हल्ला हो जायगा कि लूट मच गई और होगा यही कि पच्चीसों से पैसा वसूल कर जो बहुत दबंग है, उनके खिलाफ वह दावा दायर करेगा । इस तरह इतना बड़ा लूट का धंधा आप खोल रहे है । आज जनता परेशान है भ्रष्टाचार से और अहलकारों के कारनामों से । जनता इससे जितनी परेशान है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । और यह ऐसी चीज आप खोल रहे है जिससे कोई भी बच

नहीं सकता । सारे परिवारों के लड़के-लडकियां है, जिनकी शादियां होनी है, इस तरह से वह डाइरेक्ट पुलिस के कन्सर्न में आ जायेगा । आप इसके कन्सीक्वसेंज नहीं सोच रहे है । इससे करप्शन और हरेसमेंट अपनी चरम सीमा पर पहुंच जायेगी । आपकी मंशा सही है । देश के अन्दर आबादी भी बढ़ रही है । कोई रिपोर्ट आपके पास आई होगी कि अगर मेरेजेबुल एज बढ़ा दी जाये तो इतनी फीसदी आबादी कम हो जायगी । इस रिपोर्ट के आधार पर, लगता है कि आप सोच रहे है कि इससे आबादी पर असर पड़ेगा । श्रीमन, मैं आपको याद दिलाऊं कि सन 1949 में बनारस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी । टंडन जी उसके अध्यक्ष थे । नेहरू जी भी मौजूद थे, पंत जी भी मौजूद थे । संयोग से सवाल पापुलेशन का आ गया । मैं गांव का रहने वाला हू और गांव का ही रहने वाला नहीं 21 से लेकर 42 तक जिन्दगी और मौत के फैसले लिये और लड़ाई की--थिक इन दि फाइट । तो मैंने यह सवाल उठाया कि यह जो आबादी बढ़ रही है इसमें देश की तरक्की में बहुत बड़ी बाधा पडेगी । जो कुछ इस लहजे में देहाती भाषा में कहा जाता है और वह यह है कि 'ये अखइये के बियान कहा जायेंगे' । 'अखइये के बियान' के मायने यह है कि जो पैदा होता चला जा रहा है । नेहरू जी प्रतापगढ़ में घूमे थे । उनको यह कथन याद था । तो वह हंस पडे । समझ गये और हंस पडे । मैं हंसी के मूड में नहीं था । बहुत सीरियस था । मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा कि पंडितजी हंस रहे हैं । मैंने उनसे कहा याद रखिए इस सवाल को हंस कर के आप टाल रहे हैं और 25 साल के बाद आपका जो भी उत्तराधिकारी होगा इसी सवाल के ऊपर उसको गद्दी छोडनी पडेगी । मुझे यह मालूम नहीं था कि 25 साल के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ही रहेंगी । मैं तो यह समझता था चाहे कोई भी होगा उसके सामने यह वकट प्रश्न आएगा और चूंकि यह सवाल हल नहीं होगा इसलिये

मुल्क की गाडी आगे नहीं खिसकेगी । लोगों को याद आया सन् 1947 के बाद 1968 में और याद आया तो उसको इस भोंडे ढंग से शुरु किया । उसका नतीजा क्या हुआ ? आज कोई परिवार नियोजन का नाम ले ले तो गांव वाले जूता उठा लेते हैं । आज आपने फिर वही भोंडा ढंग अपनाने की शुरुआत की है । इसको कागनिजिबल आफेंस बना कर के आप आबादी को रोकने का प्रश्न हल करना चाहते हैं । श्रीमती इंदिरा गांधी भी हमेशा यह बयान देती थी कि मैंने कभी भी कोई ज्यादती नहीं कराई । लेकिन क्या रोक पाए ? आप भी आर्डर देंगे कि खबरदार कोई पुलिस वाला नाजायज न करे लेकिन क्या ऐसे रोक पायेंगे ? नहीं रोक पायेंगे । वही भोंडा ढंग होगा । श्रीमन्, मैं इसको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल समझता हूं, इस सरकार के लिए भी, इस देश के लिए भी, इसलिये मैं आपसे पांच मिनट और मांगता हूं । तो आबादी के प्रश्न के ऊपर भी आपका ख्याल है, देश का जो भी प्रबुद्ध आदमी है उसे इस तकलीफ का ख्याल है लेकिन उसको दूर करने का जो ढंग नसबंदी की तरह से फैल हुआ वही ढंग भयकर रूप से फेल होगा, यह तरीका ठीक नहीं है । श्रीमन्, मुझे दर्द होता है । सन् 1948 में मैंने एक पुस्तक लिखी थी 'हमारा, संदेश क्या है, इस देश का संदेश क्या है' । मैंने उसमें दिखाया था अगर इस देश को संदेश देना है तो उसको अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक ढांचे को दुनियां के सामने नमूने के साथ पेश करना चाहिए । इस समय दुनिया के सामने दो ही संदेश हैं एक रूस का, चीन का और एक पश्चिमी देशों का । अगर उनको लेना है तो फिर काहे को आप अपना दिमाग परेशान करते है । अगर आपको गांधी के आदेश के अनुसार दुनिया को संदेश देना है तो आपको सारी पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी जो संदेश दे सके और उसको तैयार करने के लिए आपको उसके बुनियादी सवालों को भी हल करना पड़ेगा । ऐसे 6 बुनियादी सवाल है । जात-

[श्री महादेव प्रसाद वर्मा]

पात नम्बर-1, गरीबी नम्बर-2, भ्रष्टाचार नम्बर-3, तालीम जो केवल पैरासाइटिक क्लास पैदा कर रही है नम्बर-4, बढ़ती हुई आबादी नम्बर-5, भाषा और प्रांत का सवाल नम्बर—6। मैंने उसमें लिखा था आप एक भी सवाल जिसको कमजोर समझते हो छोड़ दें और 5 को हल मान ले तो वह अकेला सवाल इस देश को बरबाद करने के लिए काफी है। अगर छ : के छ : सवाल पड़े रह गए तो इस देश को भगवान भी नहीं बचा पाएगा। जैसे हजारों वर्षों से नहीं बचा है। एक दूसरी चीज इन छ : में से अगर किसी एक को हल करना चाहें तो भी नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए है जिनको आप अकेले अकेले हल नही कर सकते। कभी भी किसी प्लान के अन्दर सारे सवालों को सामूहिक रूप से हल करने का क्या कोई प्रयास किया गया आबादी का सवाल भी इन से जुड़ा हुआ? यह जुड़ा हुआ है जात-पात से, गरीबों से और भ्रष्टाचार से। इसमें अगर हायल होगा आपके एक एक्ट मे सब से बड़ा भ्रष्टाचार हायल होगा जिसको सुचारु रूप मे कार्यान्वित करना है। यह सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप अकेले कैसे इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

इसलिए मेरा आपसे फिर विनम्र अनुरोध है कि आप इसको फिर से कैबिनेट के सामने रखें, इसको री-कंसीडर करे इसको कागनिजिबल न बनायें। हां, प्रचार के जरिये से या किसी और तरह से अगर कोई विधा हो और आप इसकी एज लिमिट को उठा सकें, जनता के अंदर इस भावना को भर सकें तो देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। परन्तु अगर आपने बगैर पृष्ठभूमि तैयार किये हुए कानून के जरिये से इस सवाल को हल करना चाहा तो आपकी पार्टी की सरकार की और जनता की बहुत बड़ी कुसेवा होगी। आप इस बात को याद रखिए बस इतना ही मुझे कहना है।

SHRI M. KADERSHAH (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Bill seeks to increase the minimum age for the purpose of marriage both for gents and ladies. It is also lays down that the offences committed under the Act should be investigated by the police under the Criminal Procedure Code similar to cognizable offences, but the police officers have no powers to arrest a person without a warrant or without an order of the Magistrate.

The question of raising the minimum age for marriage has been under Government's perusal for a long time and during the last 40 or 50 years since the Act of 1929 was passed, the marriageable age has been raised marginally. The question of minimum age has a direct effect on the population and when this problem of population comes in, it is but natural and correct that there should be an appropriate increase in the age of marriage whcih, to my mind, will check the growth of population to an extent. But I am quite clear in my mind that mere passing of the legislation would not eradicate child marriage completely. As we all know, our rural society would not accept very easily the limitations imposed by this Act as the people are reluctant to say good-bye to the existing customs and conventions. These are things which cannot be effectively dealt with by mere legislation The legislation has to be combined with adequate publicity, proper atmosphere, encouragements to social institutions to popularise the concept of late marriage, the compartive advantages and disadvantages accruing therefrom, the negation of a healthier life in respect of early marriages and so on. All these have to be put together with the legislation before us. Nobody would like to differ with the objects of the Bill and its purpose to bring about a social consciousness that greater happiness lies in adopting the norm of late marriages. But let me be very clear. Is the Government sincere about it? Does the Government really desire to

uplift our people from the agony involved in child marriages? Are the paraphernalia required for this vast social renaissance adequate? And is the political will and determination forthcoming? The answer which perhaps the Minister would give is "no". Had there been serious and planned efforts on the part of the Government in this direction, a comprehensive Bill outlining the measures would have been before us, not this Bill in a half-hearted manner. Is the question of illiteracy and the facilities for proper education not important? Are our young boys who have yet to enter into life conscious of this problem in the absence of reasonable publicity among them? The perspective at the national level is also of equal importance, and the socio-economic condition of the people, to whom this is meant, have also to be correctly assessed before actually the objective of the Bill can be realised.

Sir, registration of marriages is another important aspect which would discourage early marriages. You may not make non-registration of a marriage an offence for a certain number of years in the initial stages. But once you have it and back it up with adequate publicity, I think it would become part of the marriage ceremonies, and this would also help to minimise child marriages. The small family norm, on which we have spent large resources in the past and achieved very little or negligible results, has not served the purpose. The innocent and illiterate villagers have a feeling that their life is a financial burden on them. Their deep-rooted social customs, traditions and superstitious, can only be eradicated if we are capable of ushering in an era of social revolution together with steps for economic regeneration. The economics of the villagers and their life-style compel a rural family to have a large number of members for their very survival. How then will this piece of legislation achieve the desired objective? I belong to a minority community and I am conscious of the fact that even today Muslims all over the country with a weaker economic base would prefer to marry off their daughters at a comparatively younger age. Without going into the details of this custom, no voluntary organisations or institutions have come forward to enlighten them of the advantages of delayed marriages. This is an important Bill and I am not here to oppose it. The Bill reflects one of the vital problems facing our society. Our emphasis, of course, should be on bringing legislation and social reforms progressively closer hand in hand, so as to make them complementary to each other. Therefore, social awakening and well-informed public opinion has to play a decisive part in the implementation of a legislation like this. This, to my mind, is a similar attempt to restructure the social aspect of the legislation. Before I conclude, I would urge upon the honourable Minister one point and that is the implementation of this good legislation if it is to succeed, must be thoroughly and comprehensively planned with the cooperation and active assistance of all voluntary organisations and agencies together with individuals also so that the bureaucratic set-up does not get an opportunity to get this legislation only on the statute almirah and put it to use only when some people are to be harassed for the sake of harassment. This is a safeguard which I would like the honourable Minister to keep in mind. Sir, I conclude by supporting the contents of this Bill.

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN (Maharashtra): Sir, I rise to give my full support to the Bill which has been brought forward by the honourable Law Minister. The Minister and the House will agree that these measure is a belated one. It should have come pretty earlier. However, since it aims at social reform and population control, it is a welcome measure. The Minister has done well in amending his original proposal before the Lok Sabha raising

[Shri S. K. Vaishampayen]

the marriage age of girls from 16 to 18. I think that is a right step in the right direction. Secondly, the Minister has made the offence a cognizable offence with the reservation that unless the offender is produced before a magis-strate, the police would not be able to arrest him. These two features should really be welcomed by one and all and therefore I extend my support to this Bill.

I have been a consistent suporter of social reforms and measures which aim at population control. With that end in view when I was in the Rajya Sabha during the period between 1964 and 1970 I had myself moved a Bill proposing that marriage age should be raised. But when I ceased to be a Member of the Rajya Sabha, my Bill naturally lapsed. Therefore, I extend mywhole-hearted support to this Bill now.

The Bill is a very simple measure. But it has its own implications and we must try to understand those implications, when we are going through a period of freedom as such. One implication is that it is a step towards social reform, and the second implication is that this measure aims at population control. In respect or social reforms I agree with the honourable Member there that we have to be very careful and we must try to enlighten the people. At the same time the measure is more or less overdue. Our whole social fabric is such that still we are deeply embedded in old customs, certain old prejudices, certain old practices, which he must overcome. And thus we must be bolder in taking steps towards social reforms. We have been rather very slow in the matter, or rather we have been very hesitant. We often hesitate because of the consequences of a particular piece of legislation Take, for instance the family planning programme It is necessary to check the population of our country. I would only draw the attention of this House as well as the Government that this particular programme has suffered a set back because of an atmosphere of political confrontation. I think this particular atmosphere should not be there for the success of the programme. If the family planning programme has to be successful, then this atmosphere of political confrontation should cease and stop. For that the responsibility lies as much on the Parliament as on the Government. At the same time I agree that there should be no compulsive elements in the programme. We must try to educate the people and offer them certain incentives. We must also try to see that certain devices are formulated for the success of the programme. And this particular Bill is one of such devices because by raising the marriageable age of a boy or girl we also exercise a check on the population increase. By doing that, we will be able. to bring about a reduction in population in future. I would have very much wished that the Law Minister had raised the age limit of girls to 21 and boys to 24. I moved a Bill to this effect in the Rajya Sabha in 1967.

Now, Sir, I will give certain figures for the information of the House. I have taken these figures from the population statistics for 1971. I will give the figures on child marriages between the ages of 10 and 14 among males. The figures is 1.5 millions. In the same age group the number of child marriages among girls is 3.7 millions. The next age group is between the ages of 15 and 19. Here the figures for males is 4.3 millions whereas among girls the number of child marriages in this age group is 12.5 millions. The figures are revealing. If you try to put together all the figures, then you will find that there are 22.1 million child marriages in our country within the age group of 10 and 19 years. There are also instances where child marriages take place in certain parts of the country below the age of 10 years. If we have to see that these child marriages

are stopped, we must have a legislation by which a boy or girl can marry only at a particular age and not below that.

I will not go into the details. But what is most revealing is that 90 per cent of these 22.1 million child marriages are in rural areas. I wish the Law Minister and the Government take note of this. Another revealing thing from these figures is that the child marriages among females are two times the number of child marriages among males. In the age group of 10 to 14 years, the figure for male child marriages is 1.5 million, but for females the figure is 3.7 millions. It is almost three times, not two times, in the same age group. This factor also has to be taken into consideration. When we administer this legislation, we have, therefore, to keep a watch over child marriages among females particularly. They should not be allowed to marry below the age which has been laid down in this Bill. Secondly, as I said, 90 per cent of these child marriages are taking place in rural areas.

So, the Act must operate well and effectively in respect of these two things. It must operate well in the case of girls and it must be effective in the rural sector. I agree with the honourable Member over there that we must try to educate the people first and, at the same time, we must see that the law is there. I also agree with the Law Minister that this particular offence should be made a cognizable offence. But the operation of the Act should be very very strict and we will have to be more careful about the operation of this Act.

So far as the girls are concerned, we must also adopt another measure, as has been pointed out by another Member here, and that is that we must also look into the educational aspect of the problem. If we try to educate the girls up to the age of 15 at least and devise measures to see that the education of girls particularly in the rural areas is more effective and more meaningful and if we also see that the girls in the rural areas take to education, I think that will help very much in avoiding any sort of compulsion so far as the implementation of any legislation is concerned. I am saying this because I have certain figures relating to Kerala which will prove my point. I won't go much into the details. But I will only mention certain figures relating to Kerala. In the Kerala State, you will find that literacy percentage amongst women is 53.9 while the all-India average is only 18.44. Then, the average marriage age in Kerala for girls is 19.85. while the all-India average is 16.1. The result of this female literacy being higher and marriage age being higher in Kerala is that the birth rates and the death rates are considerably and comparatively lower than what they are for the whole of India. So, we have a State, the State of Kerala, where you will find that literacy is greater and marriage age is at a higher level and these together affect the birth rate also. All these facts are very revealing and we should see that we also take some lessons from these facts.

Then, Sir, there is also one more things, one more device, which we must undertake. Besides having the family planning programmes and besides raising the age of marriage of boys and girls, we must also think of one more device to which very much less attention has been paid. It is another device which we have to undertake in order to control our population or overcome this menace of population explosion and it is to see that the married couples space their children. That is also very important. Spacing of children is one more device and we shall have to see and persuade the newly married couples.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: You will require another Bill.

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN: That is a different thing. But we must persuade the newly married couples to see that they space their children. That will help in population control. These are some of the suggestions with regard to enacting this particular piece of legislation and the Government should not stop there. It must see that this is implemented well and it operates well and also it operates without any corruption or compulsion affecting it which is very very important. At the same time, Sir, we should also give proper education to the girls, particularly in the rural areas, and see that education becomes more effective and more meaningful to them. Programmes of population control must also be promoted and the newly married couples must space their children. Thank you, Sir.

3 P.M.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (राजस्थान) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट हमारे सामने रखा गया है, कोई भी साधारण विचारों वाला व्यक्ति होगा तो वह इसका स्वागत करेगा । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । हम सभी चाहते हैं कि लड़का और लड़की की शादी उम्र होने पर हो और जिस प्रकार से परिवार बढ़ता जाता है वह नहीं बढ़ना चाहिए इस पर रोक लगनी चाहिए, बंदिश लगनी चाहिए । इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं । मंत्री महोदय ने जिस नीयत के साथ इसे रखा है वह भी बहुत ठीक है लेकिन इस एक्ट को देख कर कई ऐसे प्रश्न मेरे दिमाग में पैदा हो जाते हैं जिन्हें मैं मंत्री महोदय के सामने पेश करना पसंद करूंगी ।

आपने जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट रखा है इसमें आपने उम्र रखी है । 18 और 21 साल । आपको पता है यह कोई बाल-विवाह की उम्र नहीं होती है । इस उम्र के बालक तो मेजर हो जाते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बिल का नाम इंडियन मैरिज एक्ट ही क्यों न रखा जाए । पहले तो हमारे दिमाग में शुभा था कि शायद यह बिल मुसलमानों पर लागू नहीं होगा परन्तु आपने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मुसलमानों पर भी लागू होगा तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसे इंडियन मैरिज एक्ट का रूप ही क्यों नही दे दिया जाता ।

श्री शान्ति भूषण : यह पहले से जो एक्ट बना हुआ है उसमें एक संशोधन है ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : जी, मै जानती हूं जो शारदा बिल बना था वह बदलते-बदलते स्वत: ही दूसरा बिल बन गया । यह कहने की मेरी मशा है ।

आपने जो बिल रखा है उसमें अगर आप यह सोचते है कि कानून बनने के बाद यह कागजों में सजा रहेगा या दुनिया के दूसरे मुल्कों के सामने शान से यह कहेंगे कि हमने इतने-इतने सुधारक कानून बनाये, यहां तक तो आपका सोचना ठीक है लेकिन अगर हम व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है कि आप इस कानून को व्यवहार में नही ला सकते ।

[The Vice Chairman (Shri Shyamlal Yadav) in the Chair]

1929 में जब शारदा एक्ट बना तब से लेकर आज तक आपने यही धारणा रखी । इसके ऊपर कभी इम्पलीमेंटशन नहीं हुआ । वह कानून उसी रूप में चलता आ रहा है । कागज में कानून को रखना और बात होती है और मंत्री जी उसका इम्पलीमेंटेशन करना और बात होती है । अभी मुझ से पहले मेरे बुजुर्ग भाई ने भी कहा कि बिहार वगैरह ऐसी जगहें हैं जहां 4-4, 5-5 वर्ष के बच्चों की शादी हो जाती है लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि राजस्थान में हमारे यहां जो शादी होती है वह बच्चों को थाली में बैठा कर होती है । मैंने देखा है कि दुल्हे की मां बच्चे को अपनी गोद में लेकर और दुलहिन की मां अपनी बच्ची को छाती से

दूध पिलानें हुए शादी करातीं हैं। इस प्रकार की शादियां वहां हो रही हैं। तो इससे होगा क्या ? इस कानून के बनने के बाद पुलिस वालों की बन आएगी। पुलिस वाले उन्हें परेशान करेंगे और रुपया खायेंगे। अभी हमारे यहां राजस्थान में एक कानून है 'मत भोज कानून'। उसमें भी लोगों को पकड़ा जाता है और इसी तरह के जुर्माने वगैरह होते है। नतीजा क्या होता है ? जिस व्यक्ति के घर में आदमी मर जाता है तो उसको दो प्रकार के भोज के खर्चे करने पड़ते हैं। एक तो अपने घर के भोज का खर्चा और दूसरा पुलिस वालों को देने का खर्च। इस कानून को अगर आप वाकई इम्पलीमेंट करना चाहते हैं, कागजों की शोभा नहीं बढ़ाना चाहते तो इसका यह होगा कि एक तरफ तो शादी का खर्चा और दूसरी तरफ पुलिस वालों को देने का खर्चा। आपने तो ठीक कहा कि पुलिस वाले उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। मजिस्ट्रेट के वारेंट आयेंगे तब ही पकड़ सकेंगे। पुलिस वाले इतनी जरूरत ही क्यों समझेंगे कि मजिस्ट्रेट के पास जाया जाए, उनका काम पहले ही वहां चल जाएगा। जैसे वहां राजस्थान में कोई आदमी मर जाता है तो पुलिस वाला पहले ही पैसे वसूल करने के लिए वहां पहुंच जाता है। इसी तरह से थानेदार साहब भी शादी में पहुंच जायेंगे और इस बिल का कोई नतीजा नहीं निकल पायेगा।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि उनको पास एक नहीं अनेकों बहाने हैं। आपने जो उम्र रख दी है। 18 और 21 की इसमें गांव वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गांवों वालों के पास कोई तरीका नहीं है अपने बच्चों की उम्र का सबूत देने का। स्कूल सर्टीफिकेट उनके पास होता नहीं जन्मपत्री उनके पास होती नहीं। आप गांव वालों से उनकी उम्र पूछेंगे तो वह कभी अपनी उम्र सही नहीं बतायेंगे। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। वह कहेंगे कि होगी हमारी उम्र 50, 60 के करीब। अगर लड़के के बारे में पूछेंगे तो कहेंगे कि होगी 20–25 साल की। उनको अपनी उम्र का पता ही नहीं होता। वे आपके सामने क्या सबूत पेश कर सकेंगे अपनी उम्र का। एक सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने यही आएगी। आज कल तो जाली जन्मपत्रियों से भी लड़कों और लड़कियों की शादी हो जाती है। जाली जन्मपत्री बनाने में देर ही कितनी लगती है पर पुलिस वाले तो उनको परेशान करेंगे ही।

अभी मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि इससे जनता में असंतोष होगा। आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो पुलिस वाले रिश्वत लेंगे, पैसे खायेंगे और इससे बड़ा शोर मच जायेगा कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं। यह जनता में असंतोष का कारण बन जाएगा, चाहे आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो। जो भी हुकूमत करने वाली सरकार होगी उसी के खिलाफ लोगों में एक नाराजगी पैदा हो जाएगी।

तीसरे मेरे दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि आपने लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी है और लड़के की उम्र 21 रखी है। आजकल ज्यादातर लोग इस राय के बनते जा रहे हैं कि वोट देनकी उम्र 18 साल कर दी जाए। जनता पार्टी भी इस को मानती है। गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने तो शायद अपनी राय दे दी है। 18 साल की उम्र में लड़का इतना व्यस्क हो जाता है कि उसे राजनीति जैसी बड़ी भारी जिम्मेदारी को पूरा करने में लगाया जा सकता है। यह बात समझ में नहीं आती कि जब आज इस प्रकार का मत व्यक्त किया जा रहा है कि 18 साल के आदमी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए तब यह सवाल सामने आता है कि 18 साल के आदमी को अपनी जीवन-संगिनी बनाने का अधिकार क्यों नहीं दिया। इस दृष्टि से आपने जो 21 साल की उम्र का प्रावधान किया है वह मेरी समझ में नहीं आता है। वैसे तो मेरा स्वयं का यह विचार है कि 21 साल की उम्र भी कम है और 21 साल किसी व्यक्ति की शादी के लिए रखना कोई बहुत

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत]

बड़ी उम्र नहीं है। मैंने स्वयं अपने लड़कों की शादियां 27 साल में करवाई है। जब तक लड़के पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक उनकी शादी करना उचित नहीं है...

(Interruptions) । मेरी शादी तो 20 साल में हो गई थी। लेकिन इस वक्त यह सवाल नहीं है। इस वक्त हमारी जैसी सामाजकि स्थिति है उसमें 18 साल की उम्र लड़कियों के लिए रखना उचित नहीं है। चीन ने अपने यहां इससे भी ज्यादा की उम्र रखी हुई है। हो सकता है कि उनकी सामाजिक स्थिति दूसरी प्रकार की हो। लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि हिन्दुस्तान में लड़कियों के लिये 18 साल की उम्र रखना उचित नहीं है और यह उम्र कुछ ज्यादा है। मैं समझती हूं कि यह उम्र 16 साल रखी जानी चाहिए। अगर आपने 18 साल की उम्र रखी तो इससे तो अनेक समस्यायें पैदा हो जायेंगी और खासतौर पर गांवों के अन्दर इससे समस्यायें पैदा होंगी। गांवों के अन्दर लडकियां पढ़ी-लिखी नहीं होती हैं और उनको रात-दिन काम भी करना पड़ता है। शहरों की बात दूसरी है। यहां पर तो 20-21 या 22 साल के बाद भी शादी हो सकती है। गांवों के अन्दर 13-14 साल की लड़कियों की वहुत बड़ी चर्चा होने लगती है और अगर लड़की 18 साल ही को जाएगी तो उसकी और भी चर्चा होने लगेगी। अगर हम चर्चा की बातों को भी छोड़ दें तो भी हमें इस बात का पता होना चाहिए कि गांवों में लड़कियों को अकेले में जंगलों में काम करना पड़ता है। अगर कभी कोई बात हो जाये तो लड़कियों का भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा। गांवों के अन्दर कोई बात छिपी नहीं रहती है। हम लोग तो वयस्क हैं, इसलिए हमें जो कटु सत्य है उस को मानना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। अगर हम लड़किमों की उम्र 18 साल ही करते हैं और यदि कभी कोई विवाह से पूर्व बच्चा पैदा हो गया तो क्या हम उस बच्चे की जिम्मेदारी को लेंगे? क्या समाज इस प्रकार की घटनाओं को उदारता की नजर से देखेगा? शहरों की बात दूसरी है। यहां की लड़कियां होशियार होती हैं। वे कानूनों से वाकिफ होती हैं। गांवों की लड़कियों के अन्दर इतनी समझ नहीं होती है। मुझे एक बार नागपुर जाने का मौका मिला तो सालवे साहब की मिसेज ने मुझसे कहा कि आपने पार्लियामेंट में बैठकर महिलाओं के लिए एक बहुत उपकार का काम किया है। मैं इस बात को समझ नहीं पाई कि उनका क्या मतलब है। फिर उन्होंने कहा कि आपने एबोरशन का कानून बनाया, इसलिए हम डाक्टर लोग अब महीने में हजारों एबोरशन करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार कि समस्याओं का शहरों में बड़ी आसानी से समाधान निकल आता है। इसके विपरीत अगर गांवों के अन्दर इस प्रकार की समस्या सामने आ जाएगी तो गांवों के लोग या तो लड़की को अफीम खिला कर मार देंगे या क्रूर ढंग से उसको खत्म कर देंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप इन सारी बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लें।

यहां पर यूरोप का उदाहरण दिया जाता है। यह ठीक है कि वहां पर 18 या 20 साल के बाद शादी होती है। चीन में 22 साल की उम्र में शादी होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, उन देशों की सामाजिक स्थिति दूसरे प्रकार की है। आपने इस बिल को सदन के सामने रखते हुए यह कहा है कि शादी की उम्र ज्यादा रखने से बच्चे कम पैदा होंगे। मैं समझती हूं कि यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यह ठीक है कि दो तीन साल अगर देर से शादी होगी तो बच्चे कम होंगे, लेकिन सोचने का विषय यह है कि दो तीन साल देर से शादी होने के बाद भी अगर आदमी फैमिली प्लानिंग के उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा तो 21 साल के बाद भी शादी करने के बावजूद 30 साल की उम्र तक उसके 10 बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो ऐसी कई बातें हैं, जिन्हें हमें ध्यान से सोचना

पड़ेगा । दूसरे, आपने कानून में—मैंने खुद कहीं नहीं देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आया, लेकिन मुझे पता चला है कि शारदा एक्ट में 6 महीने की सजा का प्रावधान है । यदि छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाये तो 6 महीने की सजा मां-बाप को मिलती है । अब आपने शादी की उम्र ली है 18 और 21 साल । मान लीजिये कि कोई लड़का 20 साल और 10 महीने का है और वह दो महीने पहले शादी करता है तो उसकी सजा मां-बाप को दी जायेगी या उसे दी जायेगी । इसको इस कानून में कहीं स्पष्ट किया गया है या नहीं किया गया है । मेरी समझ में वह बात नहीं आई और मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह मुझे बताने की कृपा करें कि ऐसे मामले में सजा किसको मिलेगी । मेरा कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के हमारे सामाजिक सुधार के कार्य हैं, जैसा कि पहले हमारे विद्वान सदस्य ने कहा कि, उसके साथ कई अन्य बातें जुड़ी हुई हैं । इसके लिये जरूरी हो जाता है कि हमारे सामाजिक रीति-रिवाज में बदलाव हो, हमारे सोचने के तरीके में बदलाव हो, जो हमारी संस्कृति है उसमें भी कुछ सोचने की जरूरत है । जब ये सारी बातें मिलेंगी तब जाकर इस प्रकार की चीजों का हम उन्मूलन कर सकेंगे । जहां पहले बच्चों की शादी पांच-पांच साल में हो जाती थी, अब वहां 15-17 सालों की लड़कियों की शादी मां-बाप खुशी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अब वह इन बातों को समझने लगे है । जमाना बदलता जा रहा है और उसके अनुसार वह अपने आप को ढाल रहे हैं । यह कानून आपने बना दिया, बहुत अच्छा है । इसमें मुझे एतराज नहीं है लेकिन उसके इम्प्लीमेन्टशन में सारी दिक्कतें आयेंगी, परेशानियां होंगी, यह मेरा कहना है ।

श्री इन्द्र मोहन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रेस दीर्घा में जो बन्धु बैठे हुए हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि मेरा नाम उनके द्वारा हमेशा मदन मोहन मिश्र दिया जाता है, उसे जरा शुद्ध कर ले । मेरा नाम महेन्द्र मोहन मिश्र है और मैं इसके लिये आपका प्रोटेक्शन सीक करता हू ।

श्रीमन्, यह बात सही है कि बढ़ती हुई आबादी को देखकर हमारी जनता सरकार यह विधेयक लाई है । जो हमारी पिछली सरकार थी, उसने बिना कानून का सहारा लिये, इस बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिये बहुत से कार्यक्रम किये । इसलिये हमारे विधि मंत्री जी जिस तरीके से इस विधेयक को लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं चाहता हूं और हमारी पार्टी भी चाहती है कि देश की आबादी रुके । यह केवल हमारे देश की ही समस्या नहीं है बल्कि यह एक विश्व-व्यापी समस्या है और उस समस्या को हल करने के लिये पिछली सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाये थे । लेकिन हमारे माननीय मित्र श्री वर्मा साहब ने अभी जो इशारा किया, इसके इम्प्लीमेन्टेशन में, इसके कार्यान्वयन में, उस वक्त भी हमारे अधिकारियों के कारण जो हुआ उसकी सारी बदनामी हमारी पार्टी के सिर पर आई और जिसका जनता पार्टी को लाभ हुआ । जनता पार्टी ने हमेशा ही नसबन्दी कार्यक्रम को राजनैतिक मुद्दा बनाकर पेश किया और उसी के परिणामस्वरूप वह शासन में आये । लेकिन अब खुशी इस बात की है कि अब वे इसकी अहमियत को समझ, रहे हैं और यह मानने लगे हैं कि देश की बढ़ती आबादी रोकनी चाहिए । मैं भी चाहता हूं । अभी वर्मा साहब ने कहा कि इसके लिये एक राष्ट्रीय चेतना की जरूरत है और राष्ट्रीय मंचों पर सामाजिक और सोशल रिफार्म से ही यह हो सकता है । इसके लिये इन मंचों से जनता को इस बारे में समझाने की आवश्यकता है । यदि लोगों को नहीं समझायेंगे और कानून को केवल कानूनी रूप में लिया जायेगा, तो इसका कोई अधिक लाभ नहीं होगा । इस बारे में शारदा एक्ट का भी जिक्र आया ।

[श्री महेन्द्र मोहन मिश्र]

इसलिये मैं चाहूंगा कि जिस तेजी से आपने इसे लोक सभा में कराया वैसे ही आप इसे राज्य सभा में भी पास करा दे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में, जो आपकी इच्छा है, जो आपका सिद्धान्त है कि देश में यह बढ़ती हुई आबादी रुकनी चाहिए, मैं समझता हूं कि इसमें आप कारगर नहीं होंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे आपको हड़बड़ी में नहीं लाना चाहिए। इसको हर मंच पर, जितने भी देश के मंच हैं, राजनैतिक और सामाजिक मंचों पर इसको रखें और इसका प्रचार करें। यह राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, किसी पार्टी विशेष की समस्या नहीं है। यह केवल जनता पार्टी की समस्या नहीं है, हमारी भी समस्या है। अतः इस समस्या का हर एक मंच पर प्रचार करें और नेशनल प्रोग्राम के रूप में लोगों के बीच में जाने दें और फिर उसके बाद कानून बनाकर उसको इम्प्लीमेन्ट करें।

अभी हमारे बहुत से सदस्यों ने इसके लिए जो सुझाव रखे है उनकी तरफ मेरा भी इशारा है। उन्होंने यह कहा कि कागनिजीबल आफेंस होगा लेकिन खास कर मैं विधि मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें सजा का 6 महीने का जो प्रावधान रखा गया है यह सम्मन केस की तरह होगा वारंट केस की तरह नहीं होगा। श्रीमन् आप भी वकालत कर चुके हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि इसमें कानूनी मुद्दे को भी देखें। इस विधेयक को अमली जामा पहनाने के लिए देश में एक इनफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वह अभी तक तैयार नहीं हुआ। श्रीमन् आप जानते हैं हमारे बहुत से सिनेमा हैं। जिसमें कुछ इस तरह की तस्वीरें आती हैं जिससे नौजवानों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं चाहूंगा कि इन लोगों की तरफ से कोई कोआप्रेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक यह विधेयक केवल विधेयक बन कर ही रह जाएगा। उसी तरह से नारियों के बीच में जहां तक मुझे ज्ञान है कि आठ प्रतिशत नारियां शिक्षित हैं। इसलिए फीमेल एजुकेशन की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। तभी वे इसके महत्व को समझ सकते हैं। समाज के इनफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार करने में, स्त्रियों के बीच शिक्षा का प्रचार करना एवं आर्थिक समस्याओं को भी दूर करना है। इस तरह तो पढे लिखे लोग तो यह जानते हैं कि किस तरह से सुखी परिवार रहे। जहां तक वीकर सैक्शन वालों की बात है उनकी तरफ सरकार को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उनके समक्ष सुखी परिवार का नक्शा नही है। इसलिए उन लोगो के बीच में इस बात के लिए हमारा कार्यक्रम होना चाहिए कि छोटा परिवार रहने से आनन्द और सुख होगा। इस तरह का वातवरण जब तक देश में नही बनेगा केवल विधेयक बना देने के बाद पापुलेशन रुक जाएगी। मैं समझता हूं कि वर्मा साहब ने ठीक ही कहा कि यह सब कागजों में रह जाएगा। जहां तक आपने कहा कि पुलिस को अधिकार दे दिया है। मैजिस्ट्रेट से स्वीकृति लेली लेकिन व्यवहारिकता यह है कि पुलिस एफ० आई० आर० लाज कर के मैजिस्ट्रेट के चैम्बर, मे जाती है और वारंट पर हस्ताक्षर कर लेती है। जैसे कि चूडावत जी ने कहा कि गरीब के घर पर जब पुलिस पहुंच जाएगी तो वह बेचारा अपने गहने को बेच कर भी पुलिस से जान बचाएगा इसलिए वर्मा साहब ने ठीक ही कहा कि देश में इस तरह का वातावरण हो जाएगा जैसे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नसबंदी का प्रचार करने के लिए जब गांव में जाते थे तो वे उनके पीछे दौड़ते थे। उसी तरह इस कानून के पास हो जाने के बाद लोग लाठी ले कर पीछे दौड़ेंगे। यह तो ठीक है इस प्रकार के कानून में केवल कानून मंत्री जी की ही उत्सुकता नहीं है बल्कि सारे देश की उत्सुकता है। मैं चाहूंगा कि इसमें जो आपने कागनिजिबल रखा है उसके स्थान पर उसे नान कानिगजिबल यानी on a comlaint field before a magistrate कर दिया जाए। नहीं तो इसका महा दुरुपयोग होगा। हमारे गांव में, इलाके में पंचायतों में कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं हैं। पुलिस

अफसरों को स्वागत करने में उसकी सारी कमाई बिक जाएगी। उससे लाभ नहीं होगा, आपके उद्देश्य की पूर्ति नही होगी। इसलिए आप कागनिजीबल आफेंस बनाने के लिए जो तेजी दिखला रहे है वह ठीक नहीं है। आपको सोशल रिफार्म करने चाहिए। यह कानून के माध्यम से सम्भव नही है। सोशल रिफार्म के लिए आपको एक मोर्चा बनाना पड़ेगा जिसमें शान्ति भूषण जी जाएं, चुडावत जी जाएं। हमें लोगों को समझना होगा। जब तक इस तरह का इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार नही होगा, तब तक पुलिस के माध्यम से, सरकारी महकमों के माध्यम से, आप देश की आबादी को नही रोक सकते। इस संबंध में हमारा कटु अनुभव है। इसलिए आपने इसको जो कागजीबल आफेंस बनाया, उस प्रावधान को इमानदारी से हटा दें और इस बिल को अभी पास न करें। इसको आप सेलेक्ट कमेटी में विचार के लिए भेजे इस पर दो तीन महीने देश में राष्ट्रीय चिंतन करवाएं लेकिन लोगो को समझाएं। यह देश की समस्या है, कोई जनता पार्टी की समस्या नहीं है। समाज के लोगों की समस्या है। इसके ऊपर विस्तृत विचार किया जाएं तब आप इस कानून को लावें। हम समझते हैं कि उस समय यह हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि इस विधेयक में सेफटी मेजर्स नही हैं। इन मुद्दों पर काफी सदस्यों ने इशारा किया, प्युनिटिव मेजर्स पर इशारा किया अतः इसको इतनी तेजी से लाना ठीक नही है। उम्र का जहां तक संबंध है 18 और 21 की बात है इसमें कुछ सदस्यों ने कहा कि उम्र 24–25 की जाय तो उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि एक एक्ट के मुताबिक आप अभी 18 साल तक के लोगों को वोटिंग देने जा रहे हैं इसलिए इसमें तालमेल नहीं बैठेगा। बात यह है कि आई० ए० एस० आई०पी०एस० 19 वर्ष में ही कम्पीट कर सकेंगे और डिस्ट्रीक का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेंगे लेकिन शादी नहीं कर सकेंगे यह दूसरी बात है। मैं इस बात पर नही जाना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इतनी हडबड़ी नहीं करनी चाहिए। यह बिल बहुत अच्छा है हम इसका दिल से समर्थन करते हैं मगर इस पर नेशनल डायलाग होना चाहिए, बात होनी चाहिए, इसका प्रचार होना चाहिए। यह जो कागनिजीबिल आफेंस मान लिया गया है इसमे आपका या देश का अथवा जनता का भला नहीं होगा। शारदा एक्ट की तरह इसका भी सत्यानाश हो जायगा। इन्ही शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: Mr. Vice-Chairman, Sir, I oppose this Child Marriage Restraint (Amendment) Bill. This is rather misleading. In the Bill itself, the definition of the child is given as that the child means a person who, if a male, has not completed 21 years and so on. So, a person who is 20, according to this definition becomes a child. I really feel, Sir, that this Bill is uncalled for at this juncture. We need not hurry up to bring this Bill I quite agree that social reforms are necessary. I also agree that social problems are there in this country; but we cannot solve these social problems, or we cannot make people socially reformed by enactments. Every Member who spoke here, beginning with Shrimati Leela Damodara Menon admitted that this is not properly implemented. The Child Marriage Restraint (Amendment) Act of 1929 is not being implemented in the villages and I do not know how you are going to implement it now.

It is admitted—and one Member spoke about it also—that in Kerala, because the percentage of educated persons is high and percentage of literacy among the women is high, the marriageable age there has also gone up. It is not because of the law there. So, I submit that you could have educated the people, you could have reformed the people by social reforms and not by bringing in these enactments. This enactment would firstly offend the sentiments and feelings of some of the people and miniority muslims. Here, Sir, the age for the girl is given as 18 and that of the boy as 21. I do not

[Shri Hamid Ali Schanand]

know why this difference in age is being given. The honourable learned Law Minister pointed out that when a man gets married, he should be physically matured and mentally matured and only then he should be married. I agree with it but what is the criterion that only at the age of 18 and 21 they will get mentally and physically matured. Sometimes, it may be at the age of 17 in a family when her parents may think that she should get married. Why should that privilege be not given to them? Why should you provide that only at the age of 18 and 21, they should get married. Why should there be this compulsion? As a matter of fact, you would find that the bulk of the educated boys in our country do not get married at the age of 25 even. They get married only after completing their education and after getting some job somewhere. Even when there are marriage proposals, they will say that they should get some employment and that they should be able to stand on their own legs before they can think of getting married. Therefore, the question of their getting married at the age of 21 does not arise at all. I think, this Bill should not have been brought forward in a hurry. Child marriage does not exist today in the country? When the Child Marriage Restraint Act was enacted in 1929, there were cases where a girl of five got married to a boy of seven, nine, ten or eleven. Those were the days. Then this Bill was of a necessity. It was known as the Child Marriage Restraint Act. Now, under this Bill, a boy of twenty would come under the definition of child and he would be prevented from getting married. That is why I feel this should not have been brought forward in a hurried and hasty manner. Public opinion should have been ascertained. This should have been sent to a Joint Select Committee. They should have asked the people as to what was wrong. The people would co-operate with you only when you get their consent. Now, you have brought forward this Bill. But the law which is already there is not being implemented. There is the Sharda Act under which girls could get married only after they attain the age of fifteen. Shrimati Leela Damodara Menon admitted and she said, very. rightly, that this is not being implemented. This is the case in many villages. You would find that in her own district, which is very orthodox, girls at the age of eleven or twelve get married. How are you going to improve matters merely by increasing the age from fifteen to eighteen? That is why I say you should have educated the people. Reforms should be brought forward voluntarily. For example, prohibition is in force in some States. But is it being successfully implemented in those States? Admittedly, it is not being implemented successfully. As a matter of fact, it has been admitted by my hon. friend who spoke here. He gave some statistics. He has stated that in Kerala, the percentage of literacy among women being high, the age at which girls get married has also gone up. This is not because of any compulsion and this is not because of any law or any enactment. You should have appointed some committee to go into this matter. You should have educated the people and you should have gone into their problems and so on. There may be some genuine cases. Let us say, there is a girl of seventeen. Why should she be deprived of getting married? Sometimes, the parents would like to go abroad giving their daughter in marriage. Sometimes, a girl may fall in love with somebody. Should she not have the right to get married? What I say is that freedom should not be taken away. They should have freedom. I am not, of course, in favour of a child getting married. Definitely, I am against it. This is a social evil and this social evil cannot be eradicated by mere enactments. This will create many problems in villages. I am quite sure about it. Have you taken any statistics? The

Law Minister, before bringing forward this Bill, should have asked the State Governments to furnish facts and figures to show what is the percentage of women who have married below the age of eighteen and what is the percentage of men who have married below the age of twenty-one. They should have found out in which class of society this was prevalent, whether it was among the Harijans or among the other backward communities like the Girijans and so on or among the Muslims. Instead of bringing forward this enactment, they should have studied the problem and seen to its eradication. If you do not do this, you will be creating only more problems in this country. Now, you are making it a cognisable offence and you have given powers even to the police officers in the villages. They will be going to the illiterate people in the villages and they will be harassing them. Now, you have said that they must get an arrest warrant from the magistrate. They will be able to get it. Getting an arrest warrant issued is not a big thing. This will definitely do more harm than good to the society as a whole. This is my feeling.

Before I conclude, I would suggest that there should be an exemption clause. If any particular individual wants to get married, if both of them are physically and mentally matured and if they are able to prove to the authorities that they are physically and mentally matured, they should be exempted and they should be entitled to get themselves married. So, at least that should have been there. That also is not there. I am afraid you are giving more powers to your bureaucrats, to your police officers. They will be harassing illiterate people, ignorant people, orthodox people and especially those who come from backward areas. They will be in the hands of your officers, they will be at the mercy of your officers.

With these words, I conclude

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am surprised that even at this late hour, in our social revolution some of our friends should have serious doubts as to the need for a legislation like this. Sir, even though the Sharda Act had not been respected by all the people all over India, it has had a salutary effect upon a large section of the people who at one time had been extremely orthodox, who thought it their divine duty to get their daughters married before they reached even the age of 13. The result is that those orthodox people also managed somehow or other to reconcile themselves to the dictates of that legislation and began to wait until their daughters reached at least the age of 14 years, even if they had not passed the 14th year. In that manner it has had a definite effect upon our social custom, our social practice and for a long time in the past, since 1929, this marriageable age has been going up. From one section of society to another people began responding to the call of the times and also to the legislation that was placed on the Statute So much so, today it is more an exception than the rule that it is not being observed and there are no child marriages in the sense that there used to be child marriages before that Act was passed. I am hoping, Sir, in a similar manner this legislation also would come to have a very good effect upon social practices of our people and upon the expectations of our girls and boys in regard to the time when they should get married when they would expect their parents to help them to get married. And that is why I welcome this legislation.

True, the police are likely to play mischief. That fear was there also in 1929 and many people urged that because the police were all to powerful and too keen in taking bribes, they should not have that Child Marriage Act. Similar objection is being raised now. But are you going to be sure that the rural masses in whose

[Shri N. G. Ranga]

names so many of our friends have spoken and whom I dare say they know very well, even one-tenth of them are as ignorant or as helpless as they used to be 10 or 20 years ago? Have not these elections and the political propaganda that is associated with it and all the awakening that has come in the wake of it also influenced our rural people? Have not our rural women and men begun to think in terms of social reform and social revolution? Had it not been for the fact that the rural people have come to be awakened, it would not have been possible for Indiraji to have won in the recent elections in the South. I might inform my hon. Members that it is the backward classes and the Harijans who have risen to her call and given the required response. Those are the people who have got to respond to this legislation also. Those are the people who are now trying to get their girls educated, their boys educated, so that they could gain some employment.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: But don't you think that the backward classes, whom you are referring, are going to be harassed by police, by prosecution?

SHRI N. G. RANGA: These people are not so ignorant as they used to be in the past. They are well aware of their rights and it is because of that that in Northern India one minority section which somehow or other had a kind of queer notion that they should go on multiplying their population as much as possible and the majority community which also had been suffering from the same mania of producing more and more children . .(*Interruptions*) just these two classes of people—reacted to the family planning programme that was launched by Indiraji's administration. with the result that both of them combined in defeating her party and rising against the bureaucracy and its officers. Against whatever oppression there might have been, they themselves, took advantage of the electioneering, exaggerated whatever mischiefs the bureaucracy had done or the police had perpetrated and went against the Government itself. They defeated the whole of the Government over the whole of the Gangetic valley. Those are the rural people for whom my hon. friend seems to have a very poor notion of their sense of self-reliance.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: You are speaking about population and all that. The hon. Minister himself has said that this is not a measure to check population.

SHRI N. G. RANGA: Yes, my friend, it is because our friends have also come to realise the urgency of the problem of population control and also they fought shy of adopting methods that were followed by the earlier Government in achieving or in trying to achieve population control that they have thought of this particular piece of legislation. It is a poor piece of legislation, I agree. It is tinkering with the problem.

(*Interruptions*)

My friend, just behind me here, who spoke a little earlier has given a very interesting information from the census report of 1971 as to how many million child marriages had taken place according to age between 13 and 14 in respect of the boys and the girls also. It is because of those marriages that the population had gone up more and more and, therefore, we have got to draw the line somewhere. Where should we draw the line? At one point, they put it at 14. Later, they wanted to raise it to 15. And, as the Minister has said, now they want to raise it to 18. Is there anything wrong with the figure 18? There is a general opinion in the House, which was voiced the other day, that the voters' age should be reduced to 18. Therefore, it is good enough.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: Why not the male age be reduced to 18? When they can rule the country, why can't they get married at the age of 18?

SHRI N. G. RANGA: My hon. friend is willing to allow the girls to go on producing soon after 18.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: It is not a question of producing.

SHRI N. G RANGA: There is no objection. But he would like the same privilege to be given to the boys also. But the trouble is that the boys who are capable of producing children can do so through their own wives and also through others. So they have got to be controlled more. I do not know whether this possibility ever entered the mind of the Law Minister or others when they were thinking of raising the marriageable age of the boys to 21. Nevertheless, they thought of the age of 21 and I do not see any objection to that.

Now there could only be one objection—that the girls are not as well educated as the boys and therefore and girl's age should be 18. But the boys are better educated and, therefore, they can be expected to wait for two or three years more. My hon. friend from Kerala has said that the boys are now employment-minded. Therefore, they would have a higher sense of responsibility; they would be thinking as to how they could possibly maintain their wives and children that would result therefrom, and so it is but natural to expect the boys to have a little more patience with themselves and wait till they are 21 and get married. Where is the difficulty?

SHRI K. K. MADHAVAN (Karala): Professor, may I ask whether child marriage is a deterrent to women's education?

SHRI N. G. RANGA: Even if a few millions ignore the existence of this legislation and continue their earlier evil and silly practice of getting themselves married which is much earlier than what is prescribed here, some good, in any case, would result as it has resulted from the Sharda Act also. Even though millions of people did not observe it, year after year, nevertheless, the number of the people who were breaking the law was coming down steeply year by year, decade by decade so much so that today no parent would like to indulge in this child marriage. If they do it they do it slyly They are ashamed of it. They do not publicise it. They do not go about saying that they are defying the law. This in itself is a very useful restraint on people tending to go against this legislation. Supposing some people go on breaking this law, even then much good would have resulted because more people would be respecting the law and to that extent it is a good contribution to our social harmony and also to this population problem.

Some of our friends maintain that there will be police trouble if it is made cognizable and without warrants. There summons would come to be issued and there will be so much trouble and so on It is high time, Sir, that some such restraint has got to be imposed upon our people. We have waited far too long from the date of Raja Ram Mohan Roy, Iswar Chandra Vidyasagar, Ramaswamy Naicker, Ramaswamy Choudhury and various social reforms that we have had in our country, long long enough, whose fault it is that even today tens of millions of our people are not yet ready for this kind of social revolution? It is the fault of our social workers the fault of our national leadership also. All glory to Mahatma Gandhi. It was he for the first time who on a national scale inaugurated the era of women's emancipation But so many of us who claim to have been his disciples have not done even half of what was expected of us in promoting this women's emancipation and social re-

[Shri N. G. Ranga]

form. There has been much talk of total revolution and so on. It was Mahatma Gandhi who practised it. It was conceived much earlier but it was Mahatma Gandhi who gave teeth to this campaign. He started the anti-untouchability campaign. He roused the women and started the women's emancipation. He was the man who developed our village industries campaign as well as the khadi campaign side by side with the national political revolution that he was engineering in our country. He was also developing various other campaigns. Most unfortunately for us, after we have become free we have achieved our government and have donned this parliamentarianism upon ourselves we began to glory in silver robes and we began to underplay the social aspect of our national revolution. It is high time we began doing something. Indiraji has done very much. But then the present Government also is welcome to do it. Every government, why, every political party, every social organisation has got to play its own role in the development of the necessary climate that has got to be created in our country for achieving total revolution, and in this let us compete one with the other. It is no good denigrating each other. That is why I welcome the sentiments expressed by one of my friends that we should treat it as a national problem, however small this contribution may be, and strive towards working out this atmosphere of national revolution. Sir, there is very great need for population control Communists in People's China had at one time thought that they need not bother about it They wanted more and more population. They welcomed people producing more and more. Their great leader was the author of that campaign and after ten years of that kind of fast multiplication of population, he became wiser. Then he put a stop to it and began to talk of population control and China is now carrying on a dynamic campaign of population control. We also need it in this country not only to demonstrate that our development is so very high but also to achieve the abolition of poverty. It is no good having children being born here in our country only to be treated as mere stones and pebbles on which we would be walking in a merciless manner. If we make ourselves responsible for the birth of children, then we must be prepared to look upon them as the children of God, respect them, cherish them and help them to grow into healthy, wholesome and progressive citizens. How can we do it unless we are prepared to do this elementary thing of not producing as many as we are producing, restrain ourselves and bring down the birth rate as fast as we possibly can? By doing so, Sir, we will be respecting the wishes of all our prophets from Mohammad to Jesus Christ, Rama and Krishna. Whichever religion we may belong to, if we are really respectful towards our own prophets and their teachings, then it is our duty that we should respect our children. In order to be able to offer better and better conditions of life to them, we should restrain from producing children as far as possible. Thereafter, once we begin to produce children, let us learn to look after them well and let us be capable of looking after them well. And it was only to do that, Sir, that Mrs. Indira Gandhi paid a very high price.

I am one of those people who were defeated by Mrs. Indira Gandhi and her party, but I never bore any ill-will towards her or her party. I realise that people who voted for her were mostly from the rural areas. They were poor people, men and women, kisans, mazdoors, artisans and various others and those are the people who need this kind of thing. But unfortunately, the way in which the population control came to be practised and implemented in the various States, especially in the North made those very same people who voted for her turn against her,

and that is a kind of warning to all our politicians, all our political parties and all our successive Governments. So, we cannot afford to go too fast but, at the same time, we cannot afford to go too slow either, and when we begin to move in a dynamic way we must make sure that social consciousness and social morale of the people are raised and roused and kept in tune with whatever legislation we pass.

I wish the present Government all success in its efforts in this direction. But let it not stop with the passing of this legislation. Let it do its best to win the co-operation of other political parties and all other social organisations and then create the necessary climate which would be favourable for the implementation not only of this legislation but also several similar other legislations in this direction so that we can move as far as we possibly can to achieve total revolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Shri Shahi. Kindly take five minutes only.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । मै 5 मिनट लूं या 10 मिनट लूं, लेकिन मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए एक नोट आफ वार्निग जरूर देना चाहता हूं और मेरा नोट आफ वार्निग यह है कि हमारे देश की जैसी पुलिस है और वह जिस प्रकार से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है उसकी जानकारी मंत्री महोदय को भी पूरी-पूरी है । इसकी जानकारी मंत्री महोदय को भी पूरी-पूरी है । यह सही है कि पुलिस को बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं दिया गया है । लेकिन श्रीमन्, जिस देश की पुलिस सरकार से जरा सा इशारा पाने पर लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, वहां इसमें जो विधान है वह कहां तक उचित है । मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है और मुझे भी यह अनुभव है कि एक दफा 399 है । उसका मतलब यह है कि जहां कहीं भी 10-5 आदमी डकैती करने को तैयार हों या वहां प्लान बना रहे हों डकैती का, तो उनको गिरफ्तार किया जाय । उस दफा की आड़ में पुलिस करती क्या है कि 5-7 आदमियों को जिनको चाहे उनको पकड़ लेती है और कहती है कि थाने में कोई काम है । वहां ला कर उनको रात में एक साथ ले जाती है किसी जंगल में, नदी के किनारे या सुनसान स्थान पर और वहां 10-20 सिपाही रहते हैं । कुछ उनके पैटेन्ट गवाह रहते है वहां और वह हल्ला करते है कि डाकू डाकू और वह उनको पकड़ लेते हैं और अपनी डायरी में नोट करते हैं कि पुलिस पार्टी इस रास्ते से पास कर रही थी, वहां 7-8 डाकू जिनके हाथ में बल्लम, भाले आदि थे जो डाका डालने की तैयारी कर रहे थे, उनको पकड़ा गया । ऐसा ही दफा 109 है । इसमें अंग्रेजों के वक्त यह हिदायत थी कि एक साल के अन्दर एक थाने में इतने केस जो 109 या 110 निश्चित थे, जरूर होने चाहिएं । जब उनको 109 केस नहीं मिलते तो किसी भी राहगीर को पकड़ लेते हैं, थाने में लाकर बिठा देते है और रिपोर्ट बना लेते हैं डायरी में कि फलां आदमी के मकान के पीछे यह आदमी छिपा हुआ था और इसने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और पुलिस उसके पीछे दौड़ी और उसको पकड़ लिया । उसके पास कुछ नकदी, सवारी, दियासलाई और बीड़ी मिली । तो अपने देश की पुलिस जिस तरह से फर्जी मुकदमे बनाती है, उसका अनुभव सभी को है और मंत्री जी को भी है । इसको देखते हुए मुझे सिर्फ यह कहना है कि इस विधेयक की जो मंशा है, जो इसका उद्देश्य है, इस बिल का जो आबजेक्ट है, उसका किस सीमा तक दुरुपयोग होगा, इसको सोचा नहीं जा सकता है । दूसरी बात यह कि यह पता कैसे चले कि लड़के की उम्र 21 साल हो गई । कोई डायरी मेन्टेन नहीं करता हमारे गावों में । हमसे अगर आप पूछें कि तुम्हारा सही-सही जन्म दिन क्या है, तो मैं नहीं जानता । हमारे

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

पिताजी ने जो स्कूल के रजिस्टर में लिखा रखा है, वही हम जानते हैं। वही हमारी डेट आफ बर्थ जानते हैं और जानते क्या है, उसके लिये भी उन्हें ज्योतिषी को पूछना पड़ेगा और वह हमारी कुंडली खोलकर ही यह बता सकेगा। मैं एम० ए० पास आदमी नहीं जानता तो जिस देश में 70 फीसदी लोग इलिट्रेट है, अनपढ़ हैं, अपना नाम तक नही लिख सकते कागज में, तो उस देश के लोग यह ठीक-ठीक कैसे पढ़ सकते हैं कि अब मेरा बेटा 21 साल का हो गया या मेरी बेटी 18 साल की हो गई। अब हमको इसकी शादी कर देनी चाहिए। यह बड़ा मुश्किल काम होगा और इस सख्ती का फायदा केवल पुलिस वाले उठायेंगे। हमारे देश में श्रीमन्, यह भी है कि अगर लड़का हो भी गया 21 साल का या लड़की भी 18 साल की हो गई और अगर कागजों में दर्ज नहीं है, कहीं उन्होंने नोट नहीं कराया तो उस हालत में पुलिस ने कहा कि तुम्हारी शादी तो हो गई लेकिन आप बताएं कि तुम्हारे लड़के की उम्र 21 साल है या नहीं है। अगर नही है तो हम तुम्हारा चालान करेंगे वरना 500 रुपये दे दो। उसके सामने एक ही आलटरनेटिव यह होगा कि वह अपनी जमीन बेच कर पांच सौ रुपये पुलिस वाले को देगा। वह नहीं चाहेगा कि उसका लड़का 21 साल का होते हुए भी साल भर कचहरी में दौड़े। कभी गांव से कचहरी जाए और कभी कचहरी से गांव जाए। वकीलों के पीछे भागना पड़े। इससे अच्छा है उनको दे कर अपनी जान छुड़ाओ। यह धारणा आम तौर पर होती है। तो इसके पीछे जो खतरा है दुरुपयोग का वह बड़ा भारी खतरा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यवहारिक बात है। अपने देश में पहले नियम था कि जब लड़की की उम्र प्युबिरिटी की हो जाए उस समय उसकी शादी कर देनी चाहिए। यूरोपीय देशों में एक सर्वे निकला था कि 13 साल 14 साल की उम्र की लड़कियां अपने व्वाय फ्रेंड को तय कर लेती हैं और उनको ले कर कमरे में चली जाती हैं। ठंडे देशों में जब यह हालत है कि 13 या 14 साल की लड़कियों को इच्छा होती है तो इस गर्म मुल्क में बड़ा स्वाभाविक है और स्वाभाविक होने के कारण ही अपने यहां शादी के लिए आयु निश्चित की गई। इसी स्वाभाविक प्रक्रिया के कारण ही निश्चित की गई थी, उस समय पापुलेशन की समस्या नहीं थी। इसी ख्याल से आयु निश्चित की गई थी कि जब लड़की की उम्र 14 साल की हो जाए तो उसकी शादी कर दो

(Interruptions)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : शास्त्रों में 16 साल है...

(Interruptions)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : तो यह बात बहुत अच्छी है। अगर लड़का और लड़की दोनों 25 साल की आयु तक लड़का, लड़की को न देखे और लड़की 18 साल तक किसी लड़के को न देखे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी जितनी पत्रिकाएं है जितनी किताबें रेलवे स्टेशन के बुकस्टाल पर मिलती हैं उन पर लड़कियों की नंगी तस्वीरें नज़र आती हैं।

श्री रणवीर सिंह (हरियाणा) : और सिनेमा में ?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उसके ऊपर भी आ रहा हूं। पत्रिकाओं और पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर कवर पेज पर नंगे चित्र दिए जाते हैं और सिनेमा में तो हर दीवार पर नंगी तस्वीरें रहती हैं। इसका क्या मतलब है। यह सारी प्रक्रिया कामुकता को बढ़ाने के लिए है। एक तरफ कामुकता को बढ़ाने के लिए सारे इंतज़ाम हैं। फिर फिल्मों में सैंसरशिप है। पता नहीं कहां है सैंसरशिप। जानबूझ कर फिल्म सैंसरशिप बोर्ड में ऐसे लोग रखे जाते हैं जिनको सिनेमा वाले लाख दो लाख रुपया टिकाते हैं और जो फिल्म चाहते हैं वह पास करा लेते हैं। मैं उपसभाध्यक्ष महोदय,

आपका ध्यान दिला रहा था कि एक तरफ तो कामुकता को बढ़ाने के लिए सारी व्यवस्था है और अपनी सरकार तो खैर शराब पर रोक लगा रही है। पिछले 20 वर्षों में शराब की बिक्री इस देश में हजारों गुना बढ़ाई गई। गली कूचों में शराब की दुकानें खोली गईं।
4 P.M. एक तरफ यह व्यवस्था है तो आप रोक लगा रहे हैं कि शादी मत करो। शादी मत करो तो फिर बिना शादी के क्या होगा।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे (नाम-निर्देशित): क्या आपका विचार यह है कि इससे व्यभिचार बढ़ेगा ?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : व्यभिचार का खतरा है। आप बुजुर्ग हैं, आपको ज्यादा अनुभव होगा। पांडे जी इस बिल से उसका खतरा है कि जैसे यूरोप में व्यभिचार है कि लोग शादियां नहीं करते हैं और ब्वाय फ्रेंड या गर्ल फ्रेंड रख लेते हैं। यह प्रथा यहां पर भी लार्ज स्केल में चल जायेगी अगर आप शादियों को रोकेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा उम्र तक आदमी अपने आपको रोक नहीं पाता है। हम तो देख रहे है। रंगा साहब तो कह रहे थे कि ब्रह्मचारी भी नही रोक पाते हैं।

एक माननीय सदस्य : रंगा साहब कैसे जानते हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : जानते हैं। जब ब्रह्मचारी लोग कर रहे है तो गृहस्थी में रहने वाले आदमी जो मिर्च मसाले, तेल, खटाई खाते है वे कैसे... *(Interruptions)* आप अगर यह नहीं समझ पायें तो मैं क्या करूं।

एक माननीय सदस्य : वे चाहते है आप खोलकर समझायें।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि इस विधेयक से एक ओर यह लाभ होगा कि पापूलेशन कन्ट्रोल में इमदाद मिलेगी।

(Interruptions)

एक माननीय सदस्य : दूसरी ओर व्यभिचार बढ़ेगा।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : इससे हम बच नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह कि यूरोप में तो हर जगह एबारशन का इंतजाम है, हर गली कूचे में इंतजाम है *(Interruptions)* परन्तु यहां अभी व्यवस्था नहीं हुई है। हास्पिटल नहीं बनायें और कानून बना लें यह ठीक नहीं है। श्रीमन्, मुझे किसी ने बताया कि एक एबारशन की फीस प्राईवेट लेडी डाक्टर 6 सौ रुपये लेती है। जिस लड़की को अगर जान न देनी हो और खैरियत के साथ एबारशन करवाना हो तो लेडी डाक्टर की फीस 6 सौ रुपये है यानी इतनी मंहगी व्यवस्था है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अस्पतालों में फ्री है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : वहां पर फ्री हैं मगर कितने अस्पताल हैं। गांव में क्या व्यवस्था है ?

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: How much is charged by a male doctor?

श्री नागश्वर प्रसाद शाही : गांव मे तो रानी साहिबा मैं आपके सामने एक उदाहरण बताऊं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : नहीं नहीं उदाहरण मत दीजिए।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : हमारे गांव के पास एक महिला को बच्चे की तकलीफ

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

हुई। पहले तो गांव में जो व्यवस्था होती है लोगों ने उसकी कोशिश की मगर जब नहीं हुआ तो और यह देखा कि स्त्री के प्राण चले जायेंगे तो वहां से लेकर शहर की ओर दौड़े 8 मील के बाद सड़क मिलती है, थोड़ी देर बाद उनको बस मिली और किसी तरह से उनको बस में बैठाया गया, बस स्टार्ट हुई और थोड़ी देर के बाद बस मे ही बच्चा हो गया। गांवों की यह हालत है, 30-30 मील तक कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं होती है, महिला अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। तो इस कानून के अनुसार तो एबार्शन की जरूरत बढ़ेगी फिर उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है और अगर आप गौर करें तो यह बात अपने सती सावित्री जैसे देश के लिए यह प्रेक्टिस अगर बढ़े तो यह हमारे संस्कारों और संस्कृति के लिए एक बहुत ही अनुचित बात होगी। अपने यहां जो सामाजिक नियम हैं उनके लिए यह बहुत ही अनुचित बात होगी। यह नहीं कि हमारे देश में दोष नहीं है मगर बहुत कम है। दूसरे देशों, पाश्चात्य देशों के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन यह विधेयक इस दोष को बढ़ावा देगा। (Time bell rings) आपका हुक्म है आप नही चाहते हैं इसलिए मैं खत्म करूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : आप 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक तो पुलिस इसका दुरुपयोग करेगी दूसरे एक यह कठिनाई आयेगी कि बिना शादी के ब्वाय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड वाला सिस्टम फैलेगा जो इस देश की संस्कृति और सभ्यता के लिए बहुत ही विपरीत असर डालेगा जिससे एक बहुत ही खतरनाक बात हो जायगी। यह और एक बहुत ही खतरनाक बात होगी इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पापुलेशन कंट्रोल के और बहुत से उपाय हैं, उन उपायों पर ज्यादा जोर देकर, यह शादी की जो उम्र वाली बात है इसके ऊपर कुछ थोड़ा पुनः विचार किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : 5 मिनट लें।

श्री रणबीर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी आपका हुक्म तो शिरोधार्य है लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। आप जानते हैं, यह कानून जब सेन्ट्रल असेम्बली में विधेयक के तौर पर आया था तो वह एक आर्य समाजी का विधायक था ; श्री हरविलास शारदा जी ने इसको पेश किया और आर्य समाज के पुराने धर्मशास्त्री यह मानते हैं कि जिसमाक्त ब्रह्मचर्य आश्रम भी था, हमारा समाज 4 आश्रमों में बंटा होता था--ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वाणप्रस्थ और संन्यास--और जहां समाज के अन्दर सिनेमा जैसी कुरीतियां नहीं थीं और आज का आधुनिक प्रचार नहीं था, उस वक्त भी ऐसा माना जाता था भारत के अन्दर, वैदिक युग के समय, कि 16 साल की उम्र के बाद पुत्री शादी के लायक हो जाती है। अब 16 की बजाए मंत्री महोदय 18 साल विवाह की आयु करना चाहते हैं . . . .

(Interruptions)

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : चौधरी साहब, तुलसीदास जी ने कहा--बरस 18 की सिया, 27 के राम।

श्री रणबीर सिंह : पांडे जी, वह सारी व्याख्या आप कीजिए, मै अपनी व्याख्या करूंगा।

मुझे इस बात में कोई ऐतराज नहीं होता अगर बच्चे की, लड़के की आयु 21 वर्ष से 25 वर्ष कर देते क्योंकि यह वैदिक सभ्यता के मुताबिक होता लेकिन यह तो न वैदिक सभ्यता के मुताबिक है और न इस देश की हालत के मुताबिक है। यह तो कुछ पाश्चात्य सभ्यता के दृष्टिकोण से यह बिल लाया गया

है । तो जहां तक इसकी भावना का संबंध है, उपसभाध्यक्ष जी, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि शारदा जी ने जब वह विधेयक पास कराया था तो उस वक्त इकट्ठा (अविभाजित) पंजाब था । तो सब से पहले जब वह कानून आया उस वक्त वहां पुलिस को अधिकार नही था कि जिससे कोई दरख्वास्त दे तो उस पर गौर हो सकता था । सबसे पहले मेरे पिता जी ने छोटी उम्र मे शादी करने वालो के खिलाफ दावा किया था । मै भी बच्चों की शादी के हक मे नही हूं । प्रौढ़ होने पर शादी होनी चाहिए, इसलिए नही कि फैमिली प्लानिंग का इससे कोई ज्यादा सम्बन्ध है, वह तो 16, 18 या 25 के बाद कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं । तो उससे बहुत ज्यादा सबध जोड़ना, यह बात सही नही है लेकिन यह बात जरूर सही है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिस के अंदर आपस में बैर भी है । कोई थानेदार को घूस देकर किसी को गिरफ्तार करा लेगा, या फिर गाव मे ऐसी हालत होगी कि कोई बताएगा नही कि 14 साल की शादी है या 16 साल की शादी है, वह थानेदार कुछ कर नही सकेगा, या ऐसा भी है कि उसके विपरीत कहेगा कि उसकी उम्र 19 साल है तो उसको भी 17 साल साबित करने की कोशिश की जाएगी; बच्चे की उम्र 22 साल है तो उसको 20 साल साबित करने की कोशिश की जाएगी । तो यह मुकदमेबाजी देश में बढ़ाना अच्छी चीज नहीं है । देश के अन्दर तरह-तरह के समाज हैं और देहात के अन्दर आप जानते हैं कि शादी के मायने कुछ होते नही । असली शादी तो जब होती है जब लड़का दुबारा आता है, और उसकी उम्र 18 या 21 साल हो तो कोई बात नहीं । शादी तो एक जरिया है गरीबों के अन्दर लड़के और लड़कियों का सम्बन्ध बांधने का । कई बार उनकी आर्थिक हालत अच्छी नही होती और इसलिये दो, तीन इकट्ठे कर के शादी कर देते हैं और उसमें किसी की उम्र छोटी भी हो तो कोई परवाह नही करता । वह शादी कर देता है । लेकिन आज भी हमारे समाज में है कि 14 या 16 साल से कम उम्र मे जिसको सेकिंड मैरिज कहते हैं वह करते नही । जो विदेशी सभ्यता है उसके मुताबिक जिसको मैरेज कहेगे वह हमारे यहा नही होती । वह सेकिंड मैरेज मे होता है । आप जानते है कि शादी के बाद लड़के लड़की को इकट्ठा रहने नही दिया जाता । समाज की इसके लिये इजाजत नही है । तो वह शायद शादी 14 साल की उम्र मे हो या 16 की, उससे कोई फर्क नही पड़ता । और 18 के बाद अगर सैकिंड मैरेज होती है तो उस से कोई फर्क नही पड़ना चाहिए । तो सामाजिक हालात की बिना पर जो मजबूरियां होती है उन की वजह से छोटी उम्र में शादी कर देते है । वह एक तरह से सम्बन्ध में बांधना है और फिर जैसा कि शाही साहब ने कहा, हमारे देश में जैसा सरकारी काम चलता है उस की सजा हम आज इधर बैठ कर भोग रहे है और उसका आनन्द हमारे मंत्री जी उधर बैठ कर ले रहे हैं ? हमारा जुर्म क्या था ? वह जुर्म भी था क्या ? लेकिन 60 साल वाले बुड्ढे को पुलिस वालो ने पकड़ लिया । उसने कहा कि मेरे तो बच्चे है, बीबी नही है, तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अभी हम तुमको 35 साल का जवान बना देगे । तो आज भी पुलिस वाले वही है । न वह आई पी एस बदले है और न वह थानेदार बदले हैं । हम तो बदल गये । और वह जो उनकी शिक्षा दीक्षा है वह भी नहीं बदली । आज इस बहाने से कह देना चाहता हूं जिनकी क्वालिफिकेशन का बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है वह बड़े लायक हैं, वह काहे के लायक हैं । पहले वह हमारे एजेंट थे, आज वह हमारे खिलाफ एप्रूवर है । आज वह आपके एजेंट है और कल आपके खिलाफ एप्रूवर बनेगे । एजेंट बनना आई ए एस और आई पी एस लोगो का धंधा हो गया है । अगर आप को गिरफ्तारी करानी है तो आज ही करा दीजिए । हम तो तैयार बैठे हैं । इसके कारण क्यों कराना चाहते

[श्री रणवीर सिंह]

हैं। यह अधिकार जो दे रहे है कि पुलिस वाला मैजिस्ट्रेट के पास भी न जाये और वैसे ही बांध ले, यह बहुत ज्यादा है। आप लोग भी कहीं इस रौ में न बह जायें। आप क्यों नहीं हमसे शिक्षा लेते। हमारा इरादा तो बड़ा नेक था। देश की आबादी बढती जा रही थी और देश की बढती आबादी पर काबू पा सकें इसके लिये फैसला किया गया कि फैमली प्लानिंग हो और मैं मानता हूं कि हमारी भूत-पूर्व प्रधान मंत्री जी जो थीं उनको भी शायद पूरी तरह से पता न हो और संजय गांधी जी को भी पता न हो कि उसके प्रोग्राम को लेकर क्या-क्या हुआ। किस तरह से 60 साल के बुड्ढे को 35 साल का जवान बनाया गया। (*Interruptions*) चौधरी साहब आपका भी नम्बर आ सकता है। कहीं कांग्रेस वालों का राज हो गया तो आप यकीन रखिये कि वह आपके खिलाफ शहादत लेकर पेश होंगे और आप दिखाते रहियेगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है और हमारे लड़के की उम्र का यह सर्टिफिकेट है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि देहात के अन्दर जो जन्म तिथि लिखी जाती है तो उसमें बच्चे का नाम नहीं लिखा जाता। ऊटपटांग नाम लिख देते हैं और उसको कहीं भी जोड़ा जा सकता है। उसका नाम कुछ और मिलेगा और वहां कुछ और नाम मिलेगा और जन्म तिथि से साबित नहीं हो सकेगा कि आपका यह लड़का 18 या 21 साल का हो गया है। चौधरी साहब आपकी मजबूरी आयेगी।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : चौधरी साहब यह साबित नहीं कर सकेंगे कि यह उन्हीं का लड़का है।

श्री रणबीर सिंह : चौधरी साहब आपके उपर भी मजबूरी आयेगी, मेरे ऊपर भी आयेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। यह तो एक बड़ा लम्बा चौड़ा भाईचारा है। हमारे मंत्री महोदय के जितने समर्थक हैं जो आज हमारे जैसे मुखालिफ हैं वह झूठ लगायेंगे या इनको हमारे खिलाफ लगायेंगे। तो इस समाज के अन्दर आप एक नई राजनीति का मोड़ क्यों देना चाहते हैं। आप समझते हैं कि जो एजेन्ट थे वह आज अप्रूवर हो गये, इस लिए आप उन पर विश्वास करने लग गये। वह आज अगर अप्रूवर हो रहे हैं तो जो आपके आज एजेन्ट् है वह कल अप्रूवर बनेंगे। लेकिन एक बात आप समझ कर चलें कि देश के अन्दर जो हालत है, इस देश का तौर-तरीका जो है, यह सब देखकर चलें। यहां श्री किशन चन्द का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता था, आज वह सबसे बड़ा अप्रूवर हो गया। कोई बात आये तो किशन चन्द यह कहते हैं, वह कहते हैं। जो सबसे बड़े एजेन्ट थे वे सबसे बड़े अप्रूवर हो गये हैं। चाहे सरकारी मुलाजिम का हिसाब लगायें चाहे किसी का, श्री साही जी इतने साल पार्लियामेंट में रह गये, ऐसेम्बली में रह गये, इनको मालूम नहीं। कि इनकी जन्म तिथि क्या है। शायद मंत्री महोदय को पता होगा, दूसरे मंत्री महोदय को पता न हो। (*Interruptions*)

लेकिन मैं आपको कहता हूं कि मुझे मालूम है कि मेरी जन्म तिथि यह है, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता। जिस रोज मैं पैदा हुआ, पता नहीं मेरे से पहिले और बाद भी मेरे भ्राता पैदा हुए हैं। उस रोज रजिस्टर में पता नहीं मेरा क्या नाम लिखा होगा, रणबीरसिंह तो नहीं होगा। वह तो बाद में हुआ होगा। तो यह साबित करना मुश्किल है। अदालत को साबित करना बड़ा मुश्किल है। यह बात तो साबित करना और भी मुश्किल है। तो मंत्री महोदय इस देश के उपर एक दूसरा फैमिली प्लानिंग का प्रहार चलाने का कार्य आप कर रहे है। जरा सोचें। और भी कुछ नहीं तो कम से कम आप ऐक्सप्लेनेशन में दे दें कि

विवाह के माने सैकिड मैरिज, जिसे गौना कहा जाता है, वह होगा। वह तो एक रास्ता है। कहीं फेरे देकर, कही बात पक्की कर दी जाए तो हमारे यहां कह दिया जाता है कि शादी हो गई। इसके अलावा विवाह की रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं होता। मैं करूंगा सगाई और शहादत आयेगी कि ब्याह कर दिया। तो मैं कैसे साबित करूंगा कि ब्याह नहीं हुआ। जिसका चालान होगा वह कैसे साबित कर सकता है कि शादी नहीं हुई। जो मुकदमा चलायेगा पुलिस वाला उसको तो शहादत, सबूत मान लिया जाएगा, लेकिन जिसकी शादी होगी या सगाई होगी उसको मुश्किल हो जाएगा यह साबित करना कि नहीं हुई है। तो हमारे समाज के अन्दर जिस तरह से आप एक बन्धन देना चाहते हैं उनको बांधना चाहते हैं वह नहीं हो सकता। इरादा आपका अच्छा है, फर्क इतना है कि आप 16 साल की लड़की के बजाय 18 साल की लड़की को शादी के योग्य मानते हैं, गांव वाले 16 को मानते हैं। शहर में चाहे कम हो, लेकिन गांव में 16 साल की लड़की बड़ी हृष्ट पुष्ट, तगड़ी होती है। हमारे ऊपर यह जुल्म क्यों करना चाहते हैं। यह अच्छा नहीं है। लेकिन फर्ज किया कि आप इसमें कोई संशोधन करने के लिए तैयार नहीं होते और हमारे साथी सब भाग गये, मैं अकेला रह गया तो हमारा मामला वैसे ही गया। नहीं तो आपको हम यहीं पर हरा सकते थे। वैसे कोरम का सवाल उठाकर मैं आपको हरा सकता हूं, लेकिन यह अच्छा नहीं लगता। एक प्रचार हो जाता। इसलिए आप से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप यह कहिये कि शादी के माने न सगाई है, न फेरे हैं, शादी के माने दरअसल में एक विवाद के बाद स्त्री-पुरुष का जो सम्बन्ध स्थापित होना है, वह सम्बन्ध है। उसके ऊपर आप रोक लगाना चाहते हैं। तो जो सगाई देकर या फेरे देकर लड़के-लड़कियों का जो हम रोकना कहते हैं वह शादी नहीं है। वरना मामला बड़ा वलनरेबुल होने वाला है। वह तो यह कहेगा कि यह तो वजीर का मामला है, उनका हुकम है मैं इसे कैसे मना कर सकता हूं। मैं अगर इसको नहीं करता तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता या नये मीसा में बंद कर दिया जाता। इसलिये मेरा कहना है कि जरा सोच कर, समझ कर इस पर शांति से गौर करें। हमारे जो पुलिस वाले है, दूसरे महकमें है, कार्यकर्त्ता है उनकी क्या दिमागी अवस्था है इसको भी देखें कि किस तरह से वे काम करते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रख कर इसमें कोई संशोधन लायें तो इससे आपका भी भला है, हमारा भी भला है और समाज का भी भला है।

श्री शान्ति भूषण : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है। लोकसभा में जिस प्रकार से सदन के हर ओर से समर्थन हुआ था इस विधेयक का उतना यहां पर नहीं हुआ। क्योंकि कुछ चिन्ताएं भी व्यक्त की गई हैं जो कि लोकसभा में व्यक्त नहीं की गई थीं। शायद लोकसभा के एक माननीय सदस्य ने, जो राजस्थान के हैं कुछ चिन्ता व्यक्त की थी। वरना लोकसभा में इसको पूर्ण समर्थन मिला था। बल्कि कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि 21 साल की उम्र कम रखी गई है इसको आपको बढ़ाना चाहिये।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : इस राज्य सभा का काम यही है कि लोक सभा से जो बिल आए उसको हम यहां ठीक करें।

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : यह अपर हाउस जो है।

श्री शान्ति भूषण : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुछ चिन्ताएं यहां व्यक्त की गईं जिससे यह जाहिर होता है कि राज्य सभा के माननीय सदस्य कितने सजग हैं उन्होंने जो चिन्ताएं व्यक्त की हैं मेरा यह कार्य है कि उन चिन्ताओं को दूर करूं। उनको यह बतलाऊं—कि उनकी चिन्ताएं क्यों ठीक नहीं हैं। उनकी चिन्ताओं का कोई कारण

[श्री शान्ति भूषण]

नहीं है। चिन्ताएं क्यों व्यक्त की गई है इसका जहां तक मैं कारण समझा हूं वह यह है कि मेरे समझाने की भूल रही है, शायद मैं ठीक तरह से व्यक्त नही कर पाया हूं। उनकी शंकाएं मैं अब दूर करना चाहूंगा।

एक चिता यह व्यक्त की गई कि विधेयक का जो प्रारूप है उसमें जो लिखा है उसके, हिसाब से यह बिल सब धर्मो के मानने वालों पर लागू होगा या नही क्योंकि बीच में हिन्दू मैरिज एक्ट और क्रिश्चयन मैरिज एक्ट आदि का इसमे वर्णन है। शायद उन्होने इससे यह मतलब समझा कि यह बिल सब धर्मों को मानने वालों पर लागू नही होगा। मैं एक बात यह साफ कर दूं कि यह चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वही है जिसको शारदा बिल कहा जाता है। 1929 में जो बिल पास हुआ था उसका नाम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ही था। क्योंकि इस बिल को माननीय शारदा जी ने पेश किया था इसलिये सब लोग उसको शारदा बिल के नाम से पुकारने लगे। वही 1929 वाला शारदा एक्ट आपके सामने है। एक दूसरा संशोधन करने के लिये यह विधेयक लाया गया है इस सदन में। यह चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट हर धर्म मानने वालों पर, हर भारतीय के ऊपर लागू था और अब भी लागू होगा और इसी को संशोधित किया जा रहा है। यह संशोधन भी सब धर्म के मानने वालों पर लागू होगा।

मुझे खुशी है कि श्रीमती लीला दामोदर मैनन ने कुछ आंकड़े भी दिये। एक ऐसी भावना हमेशा से रही है कि शारदा बिल पास तो किया गया, कानून भी बनाया गया लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। जो सामाजिक चेंज आया, क्रांति हुई उसमें इसका कोई योगदान नहीं था, ऐसा मैं नहीं समझता मैं समझता हूं इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अगर कोई चीज लाई जाए और 100 फीसदी उसमें कामयाबी हासिल न हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह फेल हो गई। माननीय श्रीमती लीला दामोदर मैनन ने आंकड़े दिये जिससे यह पता लगता है कि एवरेज ऐज मैरिज की किस तरह से देश में बढ़ती चली गई। आज जो ऐज की अवस्था है वह एवरेज ऐज से बढ़ती जा रही है। एवरेज एज के ऊपर है। कुछ लोगों की तो उससे ऊपर और कुछ लोगों की उससे कम ऐज में शादी होती है। औसतन मिनिमम ऐज जो बताई जाती है उसके ऊपर भी शादी होती है लेकिन फिर भी 100 फीसदी कामयाबी हासिल नही हुई है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और इस पर विचार करने की जरूरत है। मै समझता हूं कि इस संबंध में समाज का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन् ये जो आंकड़े दिए गए है ये केवल शहरों के आंकडे है। गांवों के आंकड़े इनमें शामिल नहीं है।

श्री शान्ति भूषण . यह तो देखने की बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ शहरों के ही आंकड़े नहीं है।

माननीय सदस्य इस बात से पूर्णत: सहमत होंगे कि जो गोद में लेकर बिवाह करने की प्रथा है, वह एक सामाजिक बुराई है। मैंने तो इस प्रकार के विवाह नही देखें और न ही इस बारे में मुझे कोई परसनल तजुर्बा है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की प्रथाओं को समर्थन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर लड़के और लड़की की शादी गोद में बैठाकर की जाती है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। जब तक लड़के और लड़की इस बात को न समझें कि विवाह का क्या मतलब है तब तक विवाह का अर्थ वे नहीं समझ सकते है। मैं समझता हूं कि लड़के और लड़की के अन्दर विवाह के उत्तरदायित्व को समझने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए और तभी उनका विवाह भी किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रथाओं में सुधार करने की जरूरत है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कांसेप्ट ग्राफ मेरिएज ग्रौर फिलोसाफी ग्राफ मेरिएज में भिन्नता है। हमारे देश में विवाह करने की जो प्रथा है उसके पीछे भिन्न विचारधारा है। ग्रन्य देशों के ग्रन्दर जो यह कहा जाता है कि लड़के ग्रौर लड़की को एक दूसरे की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद विवाह करना चाहिए, वह कांसेप्ट ग्रपने देश में लागू नहीं होता है। ग्रपने देश में तो विवाह के पीछे एक दूसरा ही उद्देश्य है।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शान्ति भूषण : महोदय, यह न तो व्यवस्था का प्रश्न है ग्रौर न ही ग्रव्यवस्था का प्रश्न है। यह तो केवल मात्र एक प्रश्न है। यह बात ठीक है ग्रौर इस प्रकार की बातें भी सदन में ग्रानी चाहिए जिससे कि इन पर विचार किया जा सके।

जो ग्रसली चिन्ता की बात इस विधेयक के संबंध में व्यक्त की गई है वह यह है कि इस विधेयक में जो तीन महीने की सजा ग्रौर जुर्माने की बात कही गई है, कहीं उसका पुलिस ग्रधिकारियों द्वारा दुरुपयोग तो नही होगा क्योंकि इस विधेयक मे काग्निजेबल शब्द का प्रयोग किया गया है। माननीय सदस्यों द्वारा इस बात पर भी चिन्ता प्रकट की गई है कि इस विधेयक में काग्निजेबल शब्द का प्रयोग करने मे पुलिस ग्रधिकारियों को मनमानी करने ग्रौर बेईमानी करने का मौका मिल जाएगा ग्रौर वे लोगों को परेशान किया करेंगे। इस चिन्ता को मैं थोडा दूर कर देना चाहता हूं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस जुर्म को कांग्निजेबल स्थिति में नहीं रखा गया है। केवलमात्र कानून की भाषा में इस शब्द का प्रयोग किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में काग्निजेबल शब्द की स्पष्ट डिफिनिशन दी गई है जो इस प्रकार है—

"Cognizable offence means an offence and a cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the First Schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warant."

मेरे कहने का मतलब यह है कि पुलिस ग्रधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना वारन्ट के गिरफ्तार नहीं कर सकते है। इसमे यह लिखा है कि पुलिस ग्रधिकारी को इस बात का ग्रधिकार नहीं होगा कि वह किसी को बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर दें। हमेशा कोई भी पुलिस ग्रधिकारी किसी व्यक्ति को वारन्ट के ग्राधार पर ही गिरफ्तार कर सकता है। हां, इमरजेंसी के दौरान इस प्रकार की बातें हुई कि ब्लेंक पेपर पर मजिस्ट्रेटों ने दस्तखत कर दिए, लेकिन ग्राम व्यवस्था में इस प्रकार की ग्रनुमति नही है। ग्रामतौर पर यह प्रथा है कि मजिस्ट्रेट जब वारन्ट देता है तो यह ग्रच्छी प्रकार से देख लेता है कि क्या किसी कानून का उल्लंघन हुग्रा है। मजिस्ट्रेट का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह इस बात को देखे कि किस प्रकार का जुर्म किया गया है। जब तक इस संबंध में समुचित साक्ष्य नहीं होंगे तब तक कोई भी वारन्ट जारी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यह कह रहा था कि इस ग्रपराध को काग्निजेबल जुर्म नही बनाया गया है। यह इस बात से ही साफ है कि इस विधेयक में यह लिखा है कि पुलिस ग्रधिकारी को बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने का ग्रधिकार नही होगा। इसमें सिर्फ काग्निजेबल शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि कांग्निजेबल जो जुर्म होते हैं उनका किस तरह से इन्वैस्टीगेशन होगा जांच-पड़ताल कैसे की जायेगी इसकी व्यवस्था कोड-ग्राफ क्रिमिनल प्रोसीजिर में दी गई है तो उसके लिये यह कहने के बजाय इस विधेयक में कहा जा सकता है कि यह काग्निजेबल नहीं है इसकी जांच पड़ताल जो होगी इस तरीके

[श्री शान्ति भूषण]

मे होगी यह कहने के बजाय क्योंकि यह कह दिया गया कि जांच पड़ताल करने का तरीका वही होगा अगर यह काग्जनेबल आफेन्स होता जुर्म होता तो जो जांच करने वाला तरीका होता उसी तरीके से इसकी जांच पड़ताल की जायेगी यानी सिर्फ इस लिये किया गया कि पुलिस आफिसर के पास ऐसी कोई खबर आये तो वह उसमें जाय क्योंकि उपसभाध्यक्ष महोदय जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि गांवों मे भी जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जन्म की तारीख रजिस्टर में इंटर होती है . . .

(Interruptions)

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : तारीख सही नहीं होती तारीख लिखी जाती है नाम सही...

(Interruptions)

श्री शान्ति भूषण : मैंने नाम का जिक्र नहीं किया मैंने कहा कि जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों की पैदायश दर्ज की जाती है ।

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : होता नहीं

श्री शान्ति भूषण : होता है

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : कानून भले ही है पर नहीं होता ।

श्री शान्ति भूषण : हमारे देश में इसकी व्यवस्था अच्छी है यह हो सकता है कि कभी कभी कोई गलती हो जाय लेकिन ऐसी व्यवस्था जो रही है वह अच्छी रही है तो मुल्क में...

(Interruptions)

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : कानून है लेकिन पंचायत थाने में किसी पंचायत के सरपंच या मुखिया के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे पता चल सके जिसमें नाम दर्ज हो चिन्ता तो इस बात की है कि पता चलता नहीं है इसलिये पुलिस अधिकारी परेशान करेंगे यदि यह रहे कि यह पंचायत में दर्ज हो या थाने में दर्ज हो यह चिन्ता की बात नहीं ।

श्री शान्ति भूषण : अगर नहीं है तब भी कोई परेशानी नहीं है

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : उपसभाध्यक्ष जी चिन्ता हम लोगों को इस बात की है और जो इस सदन के माननीय सदस्यों को रही है वह यह है कि जन्म की तिथि का कोई अच्छा सबूत हमारे देहातों में नहीं है इसमें जो पैनल प्राविजन बनाये हुए हैं उसमें उन लोगों की परेशानी बढ़ जायेगी अगर ऐसा जैसा कि म्युनिसपैलिटी में शहरों के लिये होता है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : आपकी बात स्पष्ट है समझ गये हैं आपको इसका जवाब दे दिया जायेगा

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : एक बात और है हमारे मंत्री महोदय इसके कानूनी मुद्दे पर सफाई दे रहे है जैसा कि उन्होंने कहा कांग्निजेबुल आफेन्स का एक प्रोसीजिर है लेकिन यह बात स्मरणीय है और माननीय न्याय मंत्री जी बहुत अच्छे अधिवक्ता रहे हैं, कि कांगनिजेबल आफेन्स केवल एक साल से ऊपर वालों के लिये ही किया जाता है लेकिन आपने प्रोविजन में दिया कि

It has to be treated as if this is a cognizable offence.

तो आप ऐसा तालमेल नहीं बिठा रहे हैं कि कांगनिजेबल केस नान-कांगनिजेबल केस भी होगा इसका अपना प्रोसीजर है और कांगनिजेबल केस का अपना प्रोसीजर है इतना विधि मंत्री महोदय ने कहा है लेकिन सजा तीन महीने है इसमें मजिस्ट्रेट तो ट्रीट करेगा कि यह नान-कांग्जेनेबल केस है

श्री रणवीर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय हाई कोर्ट के वकील रहे है । जो जिरही स्तर के वकील होते हैं उनको पता है कि पुलिस जो है, किस तरह से दस्तखत करा लेती है । शायद ऐसा भी मौका हो कि उस वक्त थानेदार चला जाये । कौन कागज देगा । वहां तो आदमी की इज्जत का सवाल हो जाता है । उप-सभाध्यक्ष जी, इन बिजली वालों को तो कोई अधिकार नहीं है गिरफ्तार करने का । परन्तु बिजली वालो की अगर मिटाई न दे तो बिजली नहीं आ सकती और इसलिये बारात से पहले बिजली वालों को मिठाई देनी होती है । यह एक दूसरा टैक्स आप हमारे ऊपर क्यों लगाने जा रहे हैं ?

श्री शान्ति भूषण : इसलिये मैं कह रहा हूं कि जब पुलिस बिना बात के गिरफ्तार कर सकती है तो इससे क्या हो जायगा । अगर सचमुच ऐसा है कि पुलिस वाले को रुपये की जरूरत है और वह बिना बात के गिरफ्तार कर सकता है तब तो इससे कोई असर पड़ने वाला नही है । लेकिन मे ऐसा नही मानता कि ऐसी बात है ।

(*Interruptions*)

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : श्रीमन् . . .

(*Interruptions*)

श्री शान्ति भूषण : माननीय सदस्य ने जिस बात को उठाया वह दंड के बारे में थीं कि क्या तीन महीने की सजा कागनिजेबल आफेन्स मैं निर्धारित करेंगे । माननीय सदस्य शायद समंस केस और वारंट केस के बारे में चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं । समंस केस और वारंट केस जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, वह बात दूसरी है । समंस केस और वारट केस में दो साल की सजा या मौत या लाइफ इम्प्रजनमैंन्ट है, उसकी ट्राइल का प्रोसीजर वारंट केस होता है ।

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : एक साल है ।

श्री शान्ति भूषण : दो साल है ।

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: But after undergoing this imprisonment, or whatever it may be, the marriage is invalidated.

SHRI SHANTI BHUSHAN: Warrant case means a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding two years. Summons case means a case relating to an offence and not being a warrant case.

जाहिर है कि दो साल से अगर ज्यादा सजा का जुर्म है तो वारंट केस होगा । उसका ट्रायल दूसरे तरीके का है और कम सजा का है तो ट्रायल का दूसरा तारीका होगा तो यह सम्मन केस होगा । यह तो ट्रायल की बात हुई ट्रायल जब पहुंचेगा तो उसमें क्या प्रोसीजर लगेगा । लेकिन पुलिस अधिकारी जो जांच करेगा वह जांच जो कांगनिजेबल केस होता है जिसमे उसको बिना वारंट गिरफ्तार करने की इजाजत होती है, अधिकार होता है उसी तरीके से जांच करेगा । लेकिन इस विधेयक में यह साफ कर दिया गया है कि उसे कोई अधिकार नही होगा कि गिरफ्तार कर के थाने में ले जाए और परेशान करे । क्योंकि सरकार इस के बारे में पूर्णतया सजग थी । सजग होने की वजह से इस तरह का प्रावधान इस बिधेयक में किया गया कि पुलिस अधिकारी को ऐसा अधिकार न मिल जाए जिसके द्वारा जिसके दुरुपयोग के द्वारा किसी को परेशान कर सके और गांव में जो अपने ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें लोगों को परेशान कर सके । परेशान करने का पुलिस अधिकारी के पास हथियार होता है कागनिजेबल में । नान-कांगनिजेवल में इसलिए कोई चिंता नहीं होती है । कांगनिजेबल और नान-कागनिजेवल की बात जो माननीय सदस्य ने उठाई मैं समझ गया हूं कि क्यों उठाई । क्योंकि एक बात इतनी अच्छी तरह से लोगों के दिमागों मे बैठी हुई है पुलिस वाले क्योंकि नान-कांगनिजेवल आफेंस होता है परेशान नहीं कर पाते चाहे जुर्म बना हुआ है । जो

[Shri Shanti Bhushan]

कांगनिजीबल ग्राफेंस होता है तो उसमे मौका होता है, क्यों होता है । कांगनिजेबल ग्रौर नान-कागनिजेबल में यही ग्रन्तर है जो डैफीनेशन दिखलाती है । कागनिजेबल में पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का ग्रधिकार होता है । ठीक है कल को वह जमानत करा ले लेकिन परेशान तो हो गया लेकिन नान-कांगनिजेबल में नही होता है इसीलिए इसको नान-कांगनिजेबल रखा गया है, कांगनिजेबल नहीं रखा गया है ग्रौर बिना वारंट के गिरफ्तार करने का ग्रधिकार नही दिया गया है। क्योंकि बात यह है कि ग्रगर कानून बन जाए लेकिन कोई प्रशासन की ग्रोर से कोई ऐसा वर्ग न हो, कोई ऐसी व्यवस्था न हो कि जिससे ग्रगर कोई जुर्म होता है तो उसकी जाच के लिए मजिस्ट्रेट के पास ग्रसली तथ्य पहुंच जाएं । ग्रब एक चिता यह व्यक्त की गई है कि जो ग्रामीण होगा—ठीक है उसने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन उसके पास सबूत कैसे होगा । किस सबूत से वह साबित करेगा कि उसने जुर्म नहीं किया । लड़का उसका 18 साल से ऊपर है लेकिन वह ऐसे साबित करेगा जो बर्थ रजिस्ट्रर है उसमें नाम नहीं लिखा जाता । दूसरा यह भी कहा गया कि हमेशा उसमें एंट्री नहीं होती । मान लीजिए ऐसा है कि उसको साबित करने का सबूत या ग्रौर कोई तरीका नहीं है लेकिन उसका तो इसमें फायदा है । ग्रगर सबूत नहीं है कि लड़के या लड़की की उम्र उससे कम है जिसका विवाह हुग्रा है । उसको साबित करने का बर्डन ग्राफ प्रूफ उसके ऊपर नहीं है । जो मुलजिम है वह साबित करे ।

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र : ऐसा विधेयक में तो नहीं है ।

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : बाद में पूछ लीजिए । पहले उनको समाप्त करने दें ।

श्री शान्ति भूषण : विधेयक में यह कहा गया है ।पसे निवेदन कर रहा हूं कि कानून यही है । विधेयक में यह बात नहीं रखी जाती है लेकिन यह पूर्णतया पक्का कानून है । पुलिस का यह काम है कि वह साबित करे । ग्रगर कोई साबित नही होता है उसमें कोई संशय की बात हो जाती है । 20 साल भी हो सकती है, 16 साल भी हो सकती है तो उसके ऊपर मुकद्मा नही चल सकता ।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : एक सवाल मैं...

श्री उपसभापति (श्री श्यामलाल यादव): कृपया सवाल मत पूछिए ।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : मुझको पूछने दीजिए । 10 मिनट ग्रौर लग जाएंगे तो क्या हुग्रा । क्या हिन्दुस्तान तबाह हो जाएगा मैं यह कह रहा हूं कि पुलिस ने तलब कर दिया कि डाक्टरी के लिए हाजिर करो । क्या कर सकेगा कि नही ? ग्रगर 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की है तो क्या डाक्टरी करने के लिए पेश कर सकते हैं या नही ?

श्री शान्ति भूषण : मैं उत्तर देता हूं । पुलिस जब तक कोई प्राइमा-फेसी सबूत पेश नहीं करेगी मैजिस्ट्रेट के सामने कि जिससे यह साबित हो कि लडकी की या लड़के की उम्र जो इस में लिखी हुई है उससे कम है तब तक कोई यह नही कह सकता कि इसको मैडीकल एग्जामीनेशन के लिए पेश किया जाए । पहले उसको प्रइमा-फेसी करना होगा ।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : ब्यान हलफिया तो दे सकता है... (*Interruptions*)

श्री शान्ति भूषण : ब्यान हलफिया किस तरह से दे सकता है । पहले तो यह फौजदारी के बाद बयान हलफी नही होता है ग्रौर दूसरे जहां होता है तो उसमे भी यह कहना होता है कि जातीय इलम से कहा है कि बयान हलफी दें । कैसे उसको मालूम है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : एक प्वाइंट आफ आर्डर सर । होता यह है कि ऐसे केसेज हुए हैं, हम लोगों की जानकारी में हुए हैं कि किसी के 2 लड़कियां या 3 लड़कियां है एक लड़की की उम्र 20 साल है और दूसरी की 17 साल । वे 20 साल वाली की शादी कर रहे हे और 17 साल वाली पहले मर गयी । यू० पी० में जब से पंचायत राज एक्ट लागू हुआ है तब से थाने में दर्ज कराने वाला एक्ट खत्म हो गया है । 1950 से पंचायत राज एक्ट के अंदर हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उसके 10 दिन के अंदर जाकर जो हर गांव के अंदर बर्थ रजिस्टर होता है, उसमें दर्ज कराये कि फलां बच्चा पैदा हुआ । परन्तु इस रजिस्टर में केवल यही दर्ज होता है कि फला बच्चा लड़का या लड़की पैदा हुआ। और तारीख भी लिख दी जाती है । उसमें नाम तो लिखा नहीं जाता है । इसलिए कभी ऐसा हो सकता है कि जो लड़की 20 साल की है उसके बाद कोई लड़की पैदा हुई और उसकी उम्र 17 की होती है अगर वह मर गयी या उसके साथ कुछ हो गया तो पुलिस को यह मौका होगा कहने का कि बर्थ रजिस्टर के अनुसार यह लड़की 17 साल की है । ऐसी परिस्थिति में क्या मंत्री जी रूल्स में ऐसा प्रावधान करेंगे कि जहा इस तरह की बात हो वहां पुलिस के लिए मेडीकल सर्टिफिकेट दाखिल करना जरुरी हो ताकि हर तरफ से कुछ ऐसा कर दिया जाय जिससे कि कोई हराम न हो सके ....

(Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (श्री श्यामलाल यादव) : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि मंत्री जी को समाप्त करने दें ।

श्री शान्ति भूषण : माननीय सदस्य ने जो कहा शायद वह जल्दी में कह गये । वह यह कहना नहीं चाहते थे क्योंकि मैं समझा कि उनकी चिंता यही थी कि कहीं ऐसा न हो कि किसी लड़की के बाप को बिना वजह मेडीकल इग्जामिनेशन के नाम पर परेशान किया जाय । क्योंकि मेडीकल इग्जामिनेशन कोई अच्छी बात नहीं होती । इसलिए पहली बात यह है कि इसमें पुलिस को यह साबित करना पड़ेगा, उसका यह उतरदायित्व होगा कि वह मजिस्ट्रेट के पास जब केस को लेकर जाय राजिस्टर कराने के लिए तो उसमें वह सुबूत दे कि वह किस सुबूत की बिना पर यह कहते हैं कि लड़के या लड़की की आयु कम थी । माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से बच्चे होते हैं और नाम नहीं लिखा जाता है । यह मुझे भी मालूम है क्योंकि नामकरण तो उस दिन नही होता है, नामकरण तो कुछ दिन बाद ही होता है । इसलिए नाम नहीं लिखा जाता है केवल बाप का नाम लिखा जाता है, किस गांव का रहने वाला है यह लिखा जाता है । यह ठीक है कि कई कई लड़कियां हों 2–2 साल बाद हुई । एक लड़की थी फिर दूसरी हुई फिर तीसरी हुई, ठीक है ऐसा होता है लेकिन अगर वे लड़कियां जिन्दा हैं तो फौरन यह होगा कि यह वाली लड़की इस साल की है, यह जिन्दा है उसकी ये उसकी वो है । उन्होंने कहा अगर मर जाय । इसमें मेरा कहना यह है कि अगर वह मर जायगी तो उसका नाम मौत रजिस्टर में आ जायेगा कि फलां लड़की फलाने की फलां दिन मर गयी । जब मां बाप कहते है कि नहीं यह तो उस लड़की का है जो उस साल में मर गयी तो उस मां बाप की ही बात मानी जायगी । *(Interruptions)* लेकिन मां बाप को पता तो होता है कि वह लड़की तो मर गयी चाहे ससुराल में मरी या यहां म लेकिन उसको खबर तो होती है *(Interruptions)* इंदराज एक जगह होगा अगर आवश्यकता होगी तो एक जगह से आ जायगा । अगर मां बाप का यह कहना है कि यह इंदराज लड़की का है जो ससुराल में जाकर फलां गांव में मर गयी थी तो यह पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वह वहां जाकर पता लगाये उसका इंदराज ले और देखे । जब तक मजिस्ट्रेट के पास पूरा सबूत नहीं हो जायगा– क्योंकि गुंजाईश कोई भी रहेगी पहले मां बाप को पता है कि कौन सी लड़की किस साल में हुई थी । उनका बयान माना जायगा पुलिस को साबित करना होगा कि नही ऐसी बात नहीं है । पुलिस को साबित करना होगा

[श्री शान्ति भूषण]

कि यह जुर्म है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को अगर यह कानूनी बात साफ हो जाय कि कोई साबित करने का उत्तरदायित्व मां बाप का नहीं है। मान लिया कि लड़की कम उम्र की है तो यह मां बाप का कर्तव्य नहीं है कि वह साबित करें कि लड़की ज्यादा उम्र की है या नहीं। ऐसा नहीं है, यह मां बाप का उत्तरदायित्व नही है। मुलजिम का कोई उत्तरदायित्व नही है। यह पुलिस का उत्तरदायित्व है कि हर पहलू से साबित करके दिखाये। उसका असर यह होगा कि जब तक कोई ऐसा साफ केस नहीं होगा। यह जरूरी नहीं है कि हर बात में ही केस चलाया जाय। अगर संशय की बात रह गयी कि 18 से नीचे है या 18 से ऊपर है तो कोई केस चलाने की बात नहीं है। कोई केस रजिस्टर करने की बात नहीं है क्योंकि ऐसी मंशा नहीं है इस विधेयक की, कि मशय भी रह जाए लेकिन हर आदमी को सजा दिलाना बहुत जरूरी है बल्कि हमारे कानून की यह व्यवस्था है कि चाहे 90 आदमी जिन्होंने जुर्म किया है वे छूट जायें लेकिन 10 ऐसे आदमियों को जरा भी सज़ा होने का विचार नहीं होना चाहिए जिन्होंने जुर्म नही किया। तो यह चीज इस कानून में सब से ज्यादा जोर से लागू होगी क्योंकि विधेयक का तात्पर्य यह है कि लोगों को इस बात की समझ आए कि हां, इस तरह से छोटी उम्र में शादी करना न देश के हित में है न बच्चों के हित में है न परिवार के हित में है। इसलिए इस बात को, इस उत्तरदायित्व को समाज के प्रति वे समझें और सजग हों। अगर कोई संशय वाला केस है तो रजिस्ट्रेशन होने की बात नही है क्योंकि थोड़े से भी जो केस होंगे उनसे सामाजिक चेतना होगी।

जो और सुझाव दिये गये है, जैसे कि इसका प्रचार होना चाहिए यह कानून है और ऐसा नही करना चाहिए उन सुझावों पर जरूर कार्य होना चाहिए। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा और भी कारणों को देखना होगा। शिक्षा की जो बात है गरीबी की जो बात है, जो और सामाजिक परेशानी है उन सब को करने की बात अपनी जगह पर सही है लेकिन सब चीजें साथ-साथ चलें इसके लिए एक विधेयक लाने से ही बात नही होती है। हर काम विधेयक से नही हो सकते हैं। मैं तो अभी सिर्फ एक छोटा सा विधेयक लेकर आया हूं और बाकी जो चीजें हैं उनके बारे में जो सरकार कार्यवाही करेगी, उन सब का इस विधेयक में जिक्र नही हो सकता था। उनके प्रति सरकार अपने उत्तरदायित्व को समझती है और सजग है।

माननीया श्रीमती दामोदर मैनन ने यह भी सुझाव दिया था—जो लोक सभा में भी कुछ सदस्यों ने दिया था—कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज भी होना चाहिए था, तो जब कोई शादी हो और बाद में कभी कोई लड़का लड़की को छोड़ दे और वह दे विवाह नही हुआ...

श्री रणवीर सिंह: यह शहरों के लिए कर दीजिए।

श्री शान्ति भूषण: आजकल तो गांव वाले शहरों से ज्यादा आगे हैं। बेचारे शहर वाले तो पीछे है। गाव वाले ज्यादा सजग हैं...

श्री रणवीर सिंह: गांव वाला कोई भी सुझाव नही देगा जो उन्होंने दिया है।

श्री शान्ति भूषण: दूसरा सुझाव यह भी दिया गया कि अगर विवाह के 2 वर्ष बाद पहला बच्चा हो तो सरकार की ओर से कोई इनाम दिया जाए, कोई गिफ्ट दिया जाए जैसा दूसरे देशों में होता है जिससे लोग इस

बात की कोशिश करे कि 2 साल तक कोई बच्चा न हो क्योंकि इनाम मिलने के लालच में वह दो वर्ष तक रुके रहें। खैर, यह अगर व्यावहारिक भी होता तो भी मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि दो वर्ष के बाद बहुत से बच्चे पैदा होंगे और सरकार की ओर से कोई मेडल दे दिया गया तो उमसे कोई हानि नही है जब तक कोई अच्छा पुरस्कार नहीं है जिसकी वजह से कोई इंसेंटिव समझा जाए। पर जो बड़ा बोझ उससे शासन के ऊपर आएगा, और आप जानते है शासन तो जो भी कोई रुपया खर्च होता है कहीं बाहर से नहीं लेता है, जनता से ही लेता है इसलिए कर लगाने के लिए उनकी ऐसी मन्शा हो कि कर लगाया जाए, तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहूंगा इस पर विचार करें।

श्री रणवीर सिंह : फेमिली प्लानिंग वालों से बंटवा दें।

श्री शान्ति भूषण : बाकी तो. . .

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : समाप्त हो गया।

श्री शान्ति भूषण : समाप्त ही हो गया। माननीया श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने कहा—16-18 की उम्र। तो बहुत वर्षों से यह प्रश्न चल रहा है और यह विचार हुआ लोक सभा में भी—बल्कि किसी ने कहा कि 18 भी कम है, ज्यादा बढ़ा दें, मैंने कहा बहुत बढ़ाना है तो 80 ही करने का सोचना होगा।

इसके बाद मैं समझता हूं मेरा कर्त्तव्य रह जाता है कि मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूं कि उन्होंने इस विधेयक को अपना समर्थन दिया है और उनसे यह सिफारिश करूं कि वे इसको पास करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): The question is:

"That the Bill further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929, and to make certain consequential amendments in the Indian Christian Marriage Act, 1872, and the Hindu Marriage Act, 1955, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 to 6 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHANTI BHUSHAN: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL, 1978

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I may say a few words by way of amplification and clarification. The necessity for bringing forward this Bill before the House has been in some detail brought out in the Statement of Objects and Reasons. As has been explained, the Shipping Development Fund which was created in 1959 has been found inadequate. Therefore, now we are making a pro-